

# 60 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-2021

निदेशक मण्डल  
(30 नवम्बर 2021 को)

अध्यक्ष

श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर

प्रबन्ध निदेशक

डॉ. राजेश शर्मा

निदेशक

श्रीमती अर्चना सिंह

श्री शक्ति सिंह राठौड़

श्री बालमुकन्द असावा

सीएओ

डॉ. आकाश आल्हा

विशेषाधिकारी

श्री दिनेश सेठी

कम्पनी सचिव

श्री पी.के. जैन

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स गुप्ता राजीव एण्ड एसोसियेट्स

चार्टर्ड एकान्टेन्ट्स, जयपुर

बैंकर्स

बैंक बॉफ बड़ौदा

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., जयपुर

पंजीकृत कार्यालय :

**दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.**

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

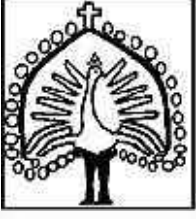
वेब साईट : <http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico>, ई-मेल : [rajsico@rajasthan.gov.in](mailto:rajsico@rajasthan.gov.in)

CIN : U91110RJ961SGC001118

## विषय सूची

|    |                                               |       |
|----|-----------------------------------------------|-------|
| 1. | 60वीं वार्षिक साधारण सभा का नोटिस             | 1-3   |
| 2. | निदेशकों का प्रतिवेदन                         | 4-16  |
| 3. | निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट                    | 17-18 |
| 4. | अंकेक्षकों की रिपोर्ट                         | 19-37 |
| 5. | तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं अनुसूचियाँ  | 38-73 |
| 6. | भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ | 74-75 |





## दी राजस्थान इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

वेब साईट : <http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico>, ई-मेल : [rajsico@rajasthan.gov.in](mailto:rajsico@rajasthan.gov.in)

CIN : U91110RJ1961SGC001118

## 60वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 60 वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 2021 को 3:00 बजे मध्याह्न पश्चात् कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 पर निम्न कार्यों के सम्पादन के लिए आयोजित की जायेगी।

### ए. सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, गौर करना एवं अंगीकार करना।
2. वर्ष 2021-22 के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।

### बी. विशिष्ट कार्य:

3. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना :

“पारित किया जाता है कि श्री शक्ति सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.06591056) जिन्हें 06 जुलाई 2021 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री शक्ति सिंह राठौड़ को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

4. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना :

“पारित किया जाता है कि श्री बाल मुकुन्द असावा (डी.आई.एन. 08450734) जिन्हें 24 अगस्त, 2021 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री बाल मुकुन्द असावा को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

### टिप्पणियाँ

- (i) एक सदस्य जो सभा में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए सक्षम है अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिपूर्ति नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रतिपूर्ति को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
- (ii) प्रतिपूर्ति प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
- (iii) कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 102 के अनुसरण में इस वार्षिक साधारण सभा में सम्पादित किये जाने वाले विशिष्ट कार्य का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

### पंजीकृत कार्यालय

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,  
जयपुर-302005  
स्थान : जयपुर  
तिथि : 01/12/2021

निदेशक मण्डल की आज्ञा से  
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज  
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन  
कम्पनी सचिव

## व्याख्यात्मक कथन

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में सूचना में दिये गये कार्य के संबंध में सभी भौतिकी तथ्यों को दर्शाते हुए व्याख्यात्मक कथन)

### संकल्प संख्या 3 के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 06.07.2021 को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री शक्ति सिंह राठौड़ (डी.आई.एन. 06591056) को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतः आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं।

उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से संबंधित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं।

### संकल्प संख्या 4 के सम्बन्ध में:-

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.08.2021 को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री बाल मुकुन्द असावा (डी.आई.एन. 08450734) को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतः आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं।

उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं।

### पंजीकृत कार्यालय

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,  
जयपुर-302005  
स्थान : जयपुर  
तिथि : 01/12/2021

निदेशक मण्डल की आज्ञा से  
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज  
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन  
कम्पनी सचिव

## निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,  
अंशधारियों हेतु  
दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

महानुभाव,

निदेशक मण्डल को कम्पनी के कार्य सम्पादन पर 60वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 के तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखों की वैधानिक अंकेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों सहित प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

### (I) पूंजीगत ढांचा एवं वित्तीय परिणाम

कम्पनी की अधिकृत पूंजी रुपये 100 प्रत्येक 8,50,000 लाख इक्विटी शेयर्स के रूप में 850 लाख रु. है। कम्पनी की परिदत्त पूंजी 31 मार्च 2021 को 6,96,40,300 / - थी।

गत 3 वर्षों के दौरान खरीद, व्यापारवर्त, संवरण स्कन्ध एवं लाभ-हानि का परिणाम निम्नानुसार रहा है:—

(₹ लाखों में)

| वर्ष    | खरीद    | व्यापारवर्त | संवरण स्कन्ध | कर से पूर्व लाभ | कर के पश्चात लाभ |
|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2018—19 | 7724.86 | 9738.36     | 46.08        | — 96.98         | — 96.98          |
| 2019—20 | 468.19  | 2051.05     | 35.38        | + 36.78         | + 35.56          |
| 2020—21 | 587.67  | 2894.11     | 24.99        | + 12.30         | + 12.30          |

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच अर्जित की गई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हैं। इसके अलावा व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

### (II) लाभांश

आपके निदेशक वित्तीय घाटा होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

### (III) जमा निक्षेप

कम्पनी द्वारा वर्ष 2020—21 की अवधि में किसी राशि को स्वीकार नहीं किया है।

### (IV) संसाधन

आपकी कम्पनी के कार्य संचालन हेतु संसाधन की आपूर्ति मूलतः कारोबार से अर्जित आय से की गई।

### (V) ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया न ही कोई गारण्टी दी गई एवं न ही निवेश किया गया।

**(VI) कम्पनी के कार्य एवं प्रगति****(1) निर्यात आधारभूत सेवायें :**

एयर कार्गो काम्पलेक्स जयपुर के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 2678.65 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में 3289.45 करोड़ मूल्य का आयात/निर्यात किया गया।

एयर कार्गो, जयपुर से वर्ष 2019-20 में 184.63 लाख की तुलना में वर्ष 2020-21 में 354.84 लाख का कारोबार हुआ।

आईसीडी जयपुर का आयात/निर्यात 792 टीईयू रहा और आई.सी.डी. जोधपुर का आयात/निर्यात 8299 टीईयू का संचालन करके बन्दरगाह के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान आई.सी.डी. जयपुर एवं जोधपुर का क्रमशः 165.56 लाख एवं 1705.94 लाख का कारोबार हुआ।

**(2) हस्तशिल्प :**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थली एम्पोरियम की कुल बिक्री 211.28 लाख रुपये का कारोबार हुआ। एमएसजी/क्यूएसटी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार, अनुमोदन के आधार पर माल गुड्स ऑन अप्रूवल (जीओए) के अन्तर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से कुल 190.52 लाख रुपये का माल क्रय किया गया।

न्यूनतम बिक्री गारंटी (एमएसजी/क्यूएसटी) योजना के तहत बिक्री पर लाईसेंस शुल्क और कमीशन से आय मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की आय राशि रु. 41.03 लाख रही जबकि मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में राशि 199.19 लाख रुपये थी।

**(3) लघु उद्योग के उत्पादों का विपणन :**

राजकीय विभाग एवं उपक्रम, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 30 और आर टी पी पी नियम 32 के प्रावधानों के अनुसार बिना निविदा किये आर एस आई सी के माध्यम से लघु उद्योग उत्पादों यथा स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं तिरपाल, पोलिथिन बैग्स तथा कांटेदार तार क्रय कर रहे हैं। इन उत्पादों के अतिरिक्त, निगम द्वारा एंगल आयरन पोस्ट की आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर करवाई जा रही है। वर्ष 2020-21 से उक्त उत्पादों की आपूर्ति रुपये 579.29 लाख की हुई।

**(4) कच्चा माल का वितरण :**

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात के वार्षिक आवंटन अनुसार लोहा एवं इस्पात का क्रय एसएआईएल एवं आरआईएनएल से किया जाता रहा है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जे पी सी छूट योजना को समाप्त करने के पश्चात अनुदान राशि योजना को वापिस लेने से लघु उद्योगों द्वारा लोहा एवं इस्पात की मांग नहीं की गई।

**(5) प्रोत्साहनात्मक एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ :**

निगम द्वारा हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत रु. 100 लाख का कारपस फण्ड संधारित किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार, रीको, आर.एफ.सी. एवं आर.एस.आई.सी. द्वारा क्रमशः 50:30:15:05, के अनुपात में संयुक्त योगदान द्वारा बनाया गया है। इस फण्ड से प्राप्त ब्याज की राशि से पात्र शिल्पियों और दस्तकारों को वित्तीय पोषण प्रदान किया जाता है।

हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए संशोधित राजस्थान हस्तशिल्पी/दस्तकार प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाई गई हैं।

**(VII) निदेशकों का दायित्व विवरण (कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 134)**

**आपके निदेशकों का कहना है कि :-**

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों की अनुपालना की गयी है तथा उल्लेखनीय विचलन की दशा में समुचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हें निरन्तर अपनाया गया है तथा ऐसे समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए हैं तथा अनुमान लगाए गए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की वस्तुस्थिति की तथा इसी अवधि के कम्पनी के लाभ-हानि की सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है ताकि कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा की जा सके एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोका एवं उजागर किया जा सके।
- निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे चल संस्थान सिद्धान्त के आधार पर तैयार किये गये हैं; एवं
- निदेशकों द्वारा समस्त लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां नियोजित की गई है तथा ये प्रणालियां पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

**(VIII) मण्डल की उप समितियां तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक आकृति****(1) अंकेक्षण समिति**

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी द्वारा अंकेक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है जो लेखांकन के विभिन्न पहलूओं पर ध्यान देने एवं वार्षिक लेखा के रख-रखाव की समीक्षा करे :

|                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| 1. आयुक्त उद्योग          | — | ( ) निदेशक |
| 2. संयुक्त सचिव (वित्त)   | — | ( ) निदेशक |
| 3. प्रबन्ध निदेशक, आरएफसी | — | ( ) निदेशक |
| वित्तीय सलाहकार / सीएओ    | — | सदस्य सचिव |

वर्ष 2020-21 की अवधि में समिति की एक बैठक दिनांक 21.10.2020 को सम्पन्न हुई। बैठक में दो सदस्य उपस्थित रहे।



**(2) संस्था की संरचना**

दिनांक 31 मार्च 2021 को निगम में कर्मचारियों की कुल संख्या 49 थी जिसमें 7 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं एवं निगम के 9 कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति / विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं।

**(3) आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता**

कम्पनी के आकार को देखते हुए कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

**(4) कर्मचारियों से संबंध**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन और कर्मचारियों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

**(5) कर्मचारियों का विवरण :**

कम्पनी का कोई भी कर्मचारी कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिक की न्युक्ति और पारिषमिक) नियम 2014 के नियम 5 (2) के प्रावधान के दायरे में नहीं आता है।

**(6) 2020-21 के दौरान संचालक मण्डल की कुल चार बैठकें आयोजित की गईं जो निम्नानुसार हैं:-**

| बोर्ड मिटिंग संख्या | दिनांक     | निदेशकों की उपस्थिति |
|---------------------|------------|----------------------|
| 358                 | 18.06.2020 | 4                    |
| 359                 | 20.10.2020 | 3                    |
| 360                 | 08.02.2021 | 4                    |
| 361                 | 31.03.2021 | 4                    |

**(IX) कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 92(3) के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी का सारांश**

कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 92(3) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक विवरणी का सारांश फार्म नम्बर एम.जी.टी.-9 संलग्न है तथा इसी रिपोर्ट का ही भाग है।

**(X) जोखिम प्रबन्धन नीति**

प्रबन्धन द्वारा कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

**(XI) संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ कोई अनुबंधन या व्यवस्थाएँ नहीं की गईं।

**(XII) कम्पनी की चल संस्थान स्थिति एवं भावी परिचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों, न्यायालयों या ट्राईब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं गंभीर आदेश**

किसी भी नियामक, न्यायालय या ट्राईब्यूनल द्वारा कम्पनी की चल संस्थान स्थिति एवं भावी

परिचालन को प्रभावित करने के संबंध में कोई भी पारित महत्वपूर्ण एवं गंभीर आदेश की सूचना शून्य है।

### (XIII) कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्य घोषणा

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), स्वतंत्र निदेशक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, निदेशकों के उत्तरदायित्व का आंकलन, सर्तकता तंत्र कम्पनी पर प्रभावी नहीं है। कम्पनी की कोई भी अनुषंगी, सहायक या संयुक्त उपक्रम कम्पनी नहीं है।

### (XIV) संचालक मण्डल नियम 1990 के अन्तर्गत निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जाने वाली सूचना का विवरण :

#### (1) तकनीक संविलयन एवं ऊर्जा संरक्षण:—

कम्पनी के व्यापार प्रवृत्ति के दृष्टिगत लागू नहीं है।

#### (2) विदेशी मुद्रा की आय तथा व्यय

विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

विदेशी मुद्रा का अर्जन : रु. 1.27 लाख (सामान के विक्रय से)

#### (3) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित की है।

यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

#### (4) निदेशक मण्डल 1.4. 20 से 31.3.21 तक

| क्र.सं. | नाम व पद                                       | कब से      | कब तक      | बैठक की संख्या |
|---------|------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1.      | श्री अम्बरीष कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 13.01.2020 | 28.07.2020 | 1 / 1          |
| 2.      | श्री नरेश पाल गंगवार, अध्यक्ष                  | 05.08.2020 | 04.12.2020 | 1 / 1          |
| 3.      | श्रीमती चिन्मय गोपाल, प्रबन्ध निदेशक           | 05.08.2020 | 15.09.2020 | 1 / 1          |
| 4.      | डॉ. समित शर्मा, प्रबन्ध निदेशक                 | 21.09.2020 | 24.12.2020 | 1 / 1          |
| 5.      | डॉ. राजेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक                | 24.12.2020 |            | 1 / 1          |
| 6.      | श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, निदेशक              | 24.12.2019 |            | 1 / 2          |
| 7.      | श्री मुक्तानंद अग्रवाल, निदेशक                 | 27.02.2020 | 02.07.2020 | 0 / 1          |
| 8.      | श्रीमती उर्मिला राजोरिया, निदेशक               | 27.08.2018 | 02.07.2020 | 0 / 1          |



|     |                                      |            |            |       |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 9.  | श्री पी. रमेश, निदेशक                | 12.10.2020 |            | 0 / 2 |
| 10. | श्री अजय असवाल, निदेशक               | 27.05.2019 |            | 3 / 4 |
| 11. | सुश्री शुभम चौधरी, निदेशक            | 24.12.2019 | 02.07.2020 | 1 / 1 |
| 12. | श्रीमती अर्चना सिंह, आई.ए.एस, निदेशक | 06.08.2020 |            | 3 / 3 |
| 13. | श्री कैलाश चन्द वर्मा, निदेशक        | 05.10.2020 | 12.10.2020 | —     |

### (XV) (1) वैधानिक अंकेक्षण / अंकेक्षण रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए मैसर्स गुप्ता राजीव एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर को कम्पनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया। निदेशक मण्डल अंकेक्षण के कार्य को अंकेक्षक द्वारा यथा समय सम्पन्न करने के लिए प्रशंसा के साथ अभिलिखित करते हैं। अंकेक्षकों की टिप्पणी पर प्रबन्धन का प्रतिउत्तर इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दिया गया है।

### (2) आन्तरिक अंकेक्षण :

निगम की आन्तरिक अंकेक्षण शाखा समय—समय पर कम्पनी का अंकेक्षण करती है।

### (XVI) आभार

कम्पनी का निदेशक मण्डल राजकीय विभागों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली तथा अन्य सह संस्थान के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सद्भावनापूर्ण सहायता और सहयोग के प्रति आभार अभिलिखित करता है।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान और वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स गुप्ता राजीव एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जयपुर के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सलाह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मण्डल निगम के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी सराहना अभिव्यक्त करता है।

स्थान : जयपुर

कृते निदेशक मण्डल  
आशुतोष ए.टी. पेडणेकर  
अध्यक्ष  
डीआईएन : 02809506

## फार्म नं. एम.जी.डी. – 9

31.03.2021 तक के समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी का सारांश  
{कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन नियम, 2014)  
के नियम 12 (1) के अनुसार}

### (I) पंजीयन एवं अन्य विवरण

|     |                                                                   |                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | सी.आई.एन.                                                         | यू 91110 आर.जे. 1961 एस.जी.सी. 001118                                                                  |
| (2) | पंजीयन की तारीख                                                   | 03.06.1961                                                                                             |
| (3) | कम्पनी का नाम                                                     | दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड                                                        |
| (4) | कम्पनी की श्रेणी / उपश्रेणी                                       | सरकारी कम्पनी                                                                                          |
| (5) | रजिस्टर्ड कार्यालय का पता व सम्पर्क का विवरण                      | उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) भारत 302005<br>फोन : 0141-2227079, फैक्स : 0141-2227257 |
| (6) | क्या सूचीबद्ध कम्पनी है                                           | नहीं                                                                                                   |
| (7) | पंजीयक एवं अन्तरण एजेंट यदि कोई है, का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण | लागू नहीं                                                                                              |

### (II) कम्पनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियां :

उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कम्पनी के कुल व्यवसाय में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हो।

| क्र. सं. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं ब्यौरा | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कम्पनी के कुल व्यवसाय का प्रतिशत |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.       | निर्यात आधारभूत सेवायें                 |                           | 76.93                            |
| 2.       | विपणन विभाग                             |                           | 20.02                            |

### (III) धारक, अनुषंगी एवं सहायक कम्पनी का विवरण

| क्र. सं. | कम्पनी का नाम व पता | सीआईएन/ जीएलएन | धारक/अनुषंगी/ सहायक | अंशधारिता का प्रतिशत | लागू धारा |
|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|
|          |                     |                | शून्य               |                      |           |

## (IV) अंशधारिता का स्वरूप (कुल पूंजी में समता अंश पूंजी का प्रतिशत)

## (i) केटेगिरी वाईज अंशधारिता

| अंशधारकों की श्रेणी |                                | वर्षारम्भ में धरित अंशों की संख्या |        |        |                | वर्षान्त पर धरित अंशों की संख्या |        |        |                | वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------------------|
|                     |                                | डीमेट                              | फिजीकल | योग    | कुल अंशों का % | डीमेट                            | फिजीकल | योग    | कुल अंशों का % |                             |
| (ए)                 | प्रवर्तक                       |                                    |        |        |                |                                  |        |        |                |                             |
|                     | (1) भारतीय                     |                                    |        |        |                |                                  |        |        |                |                             |
|                     | (ए) व्यक्ति / एचयूएफ           |                                    | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (बी) केन्द्र सरकार             | —                                  | 27000  | 27000  | 3.88           |                                  | 27000  | 27000  | 3.88           | —                           |
|                     | (सी) राज्य सरकार               | —                                  | 664387 | 664387 | 95.40          |                                  | 664387 | 664387 | 95.40          | —                           |
|                     | (डी) निगमित निकाय              | —                                  | 5000   | 5000   | 0.72           |                                  | 5000   | 5000   | 0.72           | —                           |
|                     | (ई) बैंक / वित्तीय संस्थान     | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              |                             |
|                     | (एफ) अन्य                      | —                                  | 16     | 16     |                |                                  | 16     | 16     | —              | —                           |
|                     | <b>उपयोग ए (1)</b>             |                                    |        |        |                |                                  |        |        |                |                             |
|                     | (2) विदेशी                     | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (ए) एनआरआई—व्यक्ति             | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (बी) अन्य व्यक्ति              | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (सी) निगमित निकाय              | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (डी) बैंक / वित्तीय संस्थान    | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (ई) अन्य कोई                   | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | <b>उपयोग ए (2)</b>             | —                                  | —      | शून्य  | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
| (बी)                | सार्वजनिक अंशधारिता            | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (1) संस्थागत                   | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (ए) साझा कोष                   | —                                  | —      | शून्य  | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (बी) बैंक / वित्तीय संस्थान    | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (सी) केन्द्र सरकार             | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (डी) राज्य सरकार               | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (ई) जोखिम पूंजी कोष            | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (एफ) बीमा कम्पनियाँ            | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (जी) विदेशी संस्थागत निवेशक    | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (एच) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (आई) अन्य (स्पष्ट विवरण)       | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | <b>उपयोग बी (1)</b>            | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | 2. गैर-संस्थागत                | —                                  | —      | —      | —              | —                                | —      | —      | —              | —                           |
|                     | (ए) निगमित निकाय               |                                    |        |        |                |                                  |        |        |                |                             |

|                                                                          |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|------------|---|
| (i) भारतीय                                                               |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
| (ii) विदेशी                                                              | — | —             | —             | —          | — | —             | —             | —          | — |
| (बी) व्यक्ति                                                             | — | —             | —             | —          | — | —             | —             | —          | — |
| (i) व्यक्ति जो 1 लाख रुपये तक की सांकेतिक अंश पूंजी धारित करते हैं       | — | —             | शून्य         | —          | — | —             | —             | —          | — |
| (ii) व्यक्ति जो 1 लाख रुपये से अधिक की सांकेतिक अंश पूंजी धारित करते हैं |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
| (सी) अन्य (स्पष्ट विवरण)                                                 | — | —             | —             | —          | — | —             | —             | —          | — |
| <b>उप योग बी (2)</b>                                                     | — | —             | —             | —          | — | —             | —             | —          | — |
| कुल सार्वजनिक धारिता                                                     |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
| योग बी=बी(1)+बी(2)                                                       |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
| योग (ए+बी)                                                               |   |               |               |            |   |               |               |            |   |
| (सी) जीडीआर/एडीआर के विरुद्ध कस्टोडियन द्वारा धारित अंश                  | — | —             | शून्य         | —          | — | —             | —             | —          | — |
| <b>कुल योग (ए+बी+सी)</b>                                                 |   | <b>696403</b> | <b>696403</b> | <b>100</b> |   | <b>696403</b> | <b>696403</b> | <b>100</b> |   |

**(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता :**

| क्र.सं. | अंशधारक का नाम | वर्षारम्भ पर अंशधारिता   |                                |                                                 | वर्षान्त पर अंशधारिता |                                |                                                 | वर्ष के दौरान अंशधारिता में बदलाव प्रतिशत |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                | अंशों की संख्या          | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत | कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत | अंशों की संख्या       | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत | कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत |                                           |
| 1.      |                | अंशधारकों की सूची संलग्न |                                |                                                 |                       |                                |                                                 |                                           |
|         | कुल            |                          |                                |                                                 |                       |                                |                                                 |                                           |

**(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई बदलाव नहीं है) — कोई बदलाव नहीं**

| क्र.सं. |                                                                                                                             | वर्षारम्भ पर अंशधारिता |                      | वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|         |                                                                                                                             | अंशों की संख्या        | कुल अंशों का प्रतिशत | अंशों की संख्या               | कुल अंशों का प्रतिशत |
|         | वर्षारम्भ में                                                                                                               |                        |                      |                               |                      |
|         | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/अन्तरण/बोनस/श्रम साध्य अंश आदि) |                        | शून्य                |                               |                      |
|         | वर्षान्त पर                                                                                                                 |                        |                      |                               |                      |

## (iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता का स्वरूप (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा) :

| क्र.सं. |                                                                                                                             | वर्षारम्भ पर अंशधारिता |                                | वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता |                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                             | अंशों की संख्या        | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत | अंशों की संख्या               | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत |
|         | वर्षारम्भ में                                                                                                               |                        |                                |                               |                                |
|         | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/अन्तरण/बोनस/श्रम साध्य अंश आदि) | संलग्न सूची अनुसार     |                                |                               |                                |

## (v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की अंशधारिता :

| क्र.सं. |                                                                                                                             | वर्षारम्भ पर अंशधारिता |                                | वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता |                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                             | अंशों की संख्या        | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत | अंशों की संख्या               | कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत |
|         | वर्षारम्भ पर                                                                                                                | —                      | —                              | —                             | —                              |
|         | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/अन्तरण/बोनस/श्रम साध्य अंश आदि) | शून्य                  |                                |                               |                                |
|         | वर्षान्त पर                                                                                                                 | —                      | —                              | —                             | —                              |

## (V) ऋण भार

कम्पनी पर ऋण भार मय बकाया/उपार्जित ब्याज सहित किन्तु भुगतान देय नहीं (रूपये लाखों में)

| विवरण                                | सुरक्षित ऋण जमाओं के अतिरिक्त | असुरक्षित ऋण | जमायें | कुल ऋणभार |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------|
| वर्षारम्भ पर ऋण भार                  |                               |              |        |           |
| (i) मूलधन                            |                               | 641.77       |        |           |
| (ii) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया |                               | 231.55       |        |           |
| (iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं |                               | 4.86         |        |           |
| कुल (i+ii+iii)                       |                               | 878.18       |        |           |
| वित्तीय वर्ष में ऋण भार में परिवर्तन |                               |              |        |           |
| — अभिवृद्धि                          |                               | +22.68       |        |           |
| — घटत                                |                               | 0.00         |        |           |
| कुल परिवर्तन                         |                               | +22.68       |        |           |
| वर्षान्त पर ऋण भार                   |                               |              |        |           |
| (i) मूल धन                           |                               | 641.77       |        |           |
| (ii) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया |                               | 254.26       |        |           |
| (iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं |                               | 4.83         |        |           |
| कुल (i+ii+iii)                       |                               | 900.86       |        |           |

**(VI) निदेशकों एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक****ए) प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/या प्रबन्धक का पारिश्रमिक**

(राशि रु. में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण                                          | प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/<br>प्रबन्धक का नाम |                               |        | कुल राशि (रु.) |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 1.      | सकल वेतन                                                     |                                                      |                               |        |                |
| (ए)     | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन | श्री अम्बरीष कुमार                                   | अध्यक्ष एवं<br>प्रबन्ध निदेशक | 686825 | 686825         |
| (बी)    | आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य     |                                                      |                               |        |                |
| (सी)    | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ |                                                      |                               |        |                |
| 2.      | स्टॉक ऑप्शन                                                  |                                                      |                               |        |                |
| 3.      | श्रम साध्य अंश                                               |                                                      |                               |        |                |
| 4.      | कमीशन<br>— लाभ के प्रतिशत के रूप में<br>— अन्य, स्पष्ट करें  |                                                      |                               |        |                |
| 5.      | अन्य कोई हो तो उल्लेख करें                                   |                                                      |                               |        |                |
| 6.      | योग (ए)                                                      |                                                      |                               |        |                |
|         | अधिनियम के अनुसार सीमा                                       |                                                      |                               |        |                |

**बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :**

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण                                                                                                            | निदेशक का नाम | कुल राशि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1.      | स्वतंत्र निदेशकगण<br>—मण्डल/मण्डल की कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क<br>— कमीशन<br>— अन्य, कृपया स्पष्ट करें         |               |          |
|         | योग (1)                                                                                                                        |               |          |
| 2.      | अन्य गैर अधिशाषी निदेशकगण<br>—मण्डल/मण्डल की कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क<br>— कमीशन<br>— अन्य, कृपया स्पष्ट करें | शून्य         |          |
|         | कुल (2)                                                                                                                        |               |          |
|         | योग (बी) = (1+2)                                                                                                               |               |          |
|         | कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक                                                                                                      |               |          |
|         | अधिनियम के अनुसार कुल सीमा                                                                                                     |               |          |

**(सी) प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्ण कालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (राशि रु. में)**

| क्र.सं. | पारिश्रमिक विवरण                                                    | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक |             |                  |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|         |                                                                     | प्रबन्धक                | कम्पनी सचिव | सी.एफ.ओ./सी.ई.ओ. | योग      |
| 1.      | सकल वेतन                                                            |                         |             |                  |          |
|         | (ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन    |                         | 4,81,200    | —                | 4,81,200 |
|         | (बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य |                         |             |                  |          |
|         | (सी) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ        |                         |             |                  |          |
| 2.      | स्टॉक ऑप्शन                                                         |                         |             |                  |          |
| 3.      | श्रम साध्य अंश                                                      |                         |             |                  |          |
| 4.      | कमीशन                                                               |                         |             |                  |          |
|         | — लाभ पर प्रतिशत                                                    |                         |             |                  |          |
|         | — अन्य, विशिष्ट                                                     |                         |             |                  |          |
| 5.      | अन्य, कृपया स्पष्ट करें                                             |                         |             |                  |          |
| 6.      | योग                                                                 |                         |             |                  |          |

**(VII) शास्ति/दण्ड/अवहेलनाओं की कम्पाउंडिंग**

| प्रकार                | कम्पनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | प्रभारित शास्ति/दण्ड/कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण | अथोरिटी आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट | दायर अपील यदि कोई है (विवरण दें) |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ए. कम्पनी             |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| शास्ति                |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| दण्ड                  |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| कम्पाउंडिंग           |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| बी. निदेशकगण          |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| शास्ति                |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| दण्ड                  |                        |                 | शून्य                                           |                             |                                  |
| कम्पाउंडिंग           |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| सी. अन्य दोषी अधिकारी |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| शास्ति                |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| दण्ड                  |                        |                 |                                                 |                             |                                  |
| कम्पाउंडिंग           |                        |                 |                                                 |                             |                                  |

स्थान : जयपुर

कृते निदेशक मण्डल  
आशुतोष ए.टी. पेडणेकर  
अध्यक्ष  
डीआईएन : 02809506



## 30 नवंबर 2021 को आरएसआईसी के अंशधारकों की सूची

| क्र. सं. | नाम                                                   | शेयरों / डिबेंचरों की संख्या | शेयरों / डिबेंचरों का प्रकार | शेयरों / डिबेंचरों की राशि | पता                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार                         | 27000                        | इक्विटी शेयर                 | 100                        | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, वेस्ट ब्लैक 7, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली के माध्यम से |
| 2.       | महामहिम राज्यपाल, राजस्थान सरकार                      | 664387                       | इक्विटी शेयर                 | 100                        | शासन उप सचिव वित्त (व्यय IV एण्ड पीआई) राजस्थान, जयपुर के माध्यम से                                    |
| 3.       | राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि., जयपुर | 5000                         | इक्विटी शेयर                 | 100                        | जयपुर                                                                                                  |
| 4.       | श्रीमती उषा प्रकाश                                    | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | 3-ए-सी, जयसिंह हाईवे, सुन्दर पथ, बनीपार्क, जयपुर                                                       |
| 5.       | श्री दीपक खण्डेलवाल                                   | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | सी-18, चौमूं हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर                                                                     |
| 6.       | श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत                       | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | सी-194, जगदीश मार्ग, लक्ष्मी निवास, बनीपार्क, जयपुर                                                    |
| 7.       | श्री के.एल. जैन                                       | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर                                                                |
| 8.       | श्री जय किशन शर्मा                                    | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | 24-लाजपत नगर स्कीम नं. 2 अलवर                                                                          |
| 9.       | श्री गोपाल लाल गुप्ता                                 | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | मार्फत-राजस्थान इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज, सी-2, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बाईस गोदाम, जयपुर                    |
| 10.      | श्री शाह सुरेन्द्र कुमार                              | 2                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | कल्याण भवन, शाह बिल्डिंग चौड़ा रास्ता, जयपुर                                                           |
| 11.      | श्री श्रीभान सिंह                                     | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | अटल बंध, भरतपुर                                                                                        |
| 12.      | डॉ. जी.आर. तोषनीवाल                                   | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | कुन्दन नगर, अजमेर                                                                                      |
| 13.      | श्री जग मोहन दास मुदड़ा                               | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | नत्थूसर गेट, बीकानेर                                                                                   |
| 14.      | श्री जगमोहन लाल ताम्बी                                | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | मार्फत-मैसर्स जे.जे. फॉर्मस् प्रा. लि., ओखला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, न्यू दिल्ली                           |
| 15.      | श्री अभय कुमार जैन                                    | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | 11-चौधरी भवन, सरदारपुरा, जोधपुर                                                                        |
| 16.      | श्री धर्मचन्द चोपड़ा                                  | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | मार्फत मैसर्स राजस्थान फ्रुट प्रिजर्व प्रा.लि., सुरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर                              |
| 17.      | श्री आनन्द सिंह कच्छावा                               | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | 2-डी- फोर्ट रोड, जोधपुर                                                                                |
| 18.      | सरदार प्यारे सिंह                                     | 1                            | इक्विटी शेयर                 | 100                        | 3-नानकपुरा, उदयपुर                                                                                     |
|          | <b>कुल</b>                                            | <b>696403</b>                |                              |                            |                                                                                                        |

**टिप्पणी :** चार अधिकारिक निदेशकों के 100/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के नाम पर पांच शेयर राजस्थान के गवर्नर, द्वारा शेयर होल्डिंग में सम्मिलित, के नामांकित व्यक्ति के रूप में शेयर धारण कर रहे हैं।

|     |                                              |   |              |     |                                                                           |
|-----|----------------------------------------------|---|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 19. | डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक    | 2 | इक्विटी शेयर | 100 | प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर          |
| 20. | श्रीमती अर्चना सिंह, आई.ए.एस., निदेशक जयपुर  | 1 | इक्विटी शेयर | 100 | उद्योग आयुक्त राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, जयपुर                           |
| 21. | श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, आई.ए.एस., अध्यक्ष | 1 | इक्विटी शेयर | 100 | प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर             |
| 22. | श्री बाल मुकन्द असावा अतिरिक्त निदेशक        | 1 | इक्विटी शेयर | 100 | संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-11) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर |

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंशधारिकों को दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशकों के स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट

अन्य विधि और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट बिन्दू सं. 3—(ए) (बी) (सी) (डी) (इ) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

### **परिशिष्ट-“1” दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों का अंकक्षण प्रतिवेदन**

#### **भाग- I (टिप्पणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाया जा सका)**

1. नोट कर लिया है, उसी के भरने के लिए खोले जाने पर ट्रंस-1 को दायर किया जाएगा अथवा एसटी-3 में उपलब्ध क्रेडिट के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।
2. नोट कर लिया है, कम्पनी द्वारा रीको एवं नगर निगम, जयपुर को शास्तियां व ब्याज राशि को माफ करने हेतु निवेदन किया गया है।
3. नोट कर लिया है, तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद प्रावधान किया जाएगा।

#### **भाग- II (टिप्पणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका)**

1. नोट कर लिया है,
2. नोट कर लिया है,
3. नोट कर लिया है,
4. नोट कर लिया है,
5. नोट कर लिया है, कम्पनी द्वारा आईटीपीओ से पुष्टि प्राप्त की जाएगी।
6. नोट कर लिया है,
7. नोट कर लिया है, अगले साल उचित वर्गीकरण किया जाएगा।
8. नोट कर लिया है, पुष्टि प्राप्त की जाएगी।
9. नोट कर लिया है,
10. नोट कर लिया है, अगले साल उचित वर्गीकरण किया जाएगा।

#### **परिशिष्ट-“2” दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों का विशिष्ट महत्व**

1. नोट कर लिया है,
2. नोट कर लिया है।
3. नोट कर लिया है।

## परिशिष्ट-“3” दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों को कारो 2016 में अग्रेषित

1. नोट कर लिया है। कम्पनी द्वारा सम्पत्ति का उचित टाइटल डीड प्राप्त किया जा रहा है।
2. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
3. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
4. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
5. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
6. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
7. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
8. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
9. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
10. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
11. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
12. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
13. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
14. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
15. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
16. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

## परिशिष्ट-“4” एवं “5” दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंकेंक्षण प्रतिवेदन के वैधानिक अंकेंक्षणों की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ—नोट कर लिया है।

डॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डी.आई.एन. 07685462

अर्चना सिंह  
निदेशक  
डी.आई.एन. 06785834



एफ-141, “अतुल्यम” आजाद मार्ग,  
सी-स्कीम, जयपुर-302001  
(का.) 0141-4233440  
ई-मेल : gra@computaxonline.com

**गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट**

## स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

**दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड**

### **वित्तीय प्रपत्रों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट क्वालीफाईड ऑपिनियन**

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. जयपुर (निगम) के वित्तीय प्रपत्रों जिनमें दिनांक 31 मार्च 2021 का तुलन-पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण एवं नगद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं, का अंकेक्षण कर लिया है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी क्वालीफाईड ऑपिनियन के आधार पर नीचे दिये गये पैराग्राफ में उल्लेखित मामलों के संभव प्रभाव के अतिरिक्त, उपरोक्त वित्तीय विवरणों, अधिनियम में चाही गई सूचना आवश्यक विधि से उपलब्ध कराते हैं एवं जो विश्वसनीय और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। अतः अन्यतः लेखांकन सिद्धान्त जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं और जो कम्पनी की 31.03.2021 की स्थिति दर्शाते हैं एवं इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और नगदी प्रवाह दर्शाते हैं।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट निर्धारित अंकेक्षण मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार अंकेक्षण किया। हमारा अंकेक्षण का दायित्व इन मानदण्डों के अनुसार जो अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में उल्लेखित है को अपनी रिपोर्ट के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के भाग में दर्शाया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (दि आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इस पर आधारित नियमों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के लिए नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर तथा आई.सी.ए.आई. आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने लेखा परीक्षण किया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

### **अंकेक्षण राय का आधार**

अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट '1' के भाग-। एवं भाग-।। में दर्शाये गये मामलों में कम्पनी द्वारा उल्लेख प्रदान नहीं किया गया है।

हम परिशिष्ट '1' के भाग—II में दर्शाये गये मामलों में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। तदनुसार हम वित्तीय प्रतिवेदनों पर प्रभाव का आंकलन करने में असमर्थ रहे। अगर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट—I के भाग—I पर हमारे द्वारा दिये गये पर्यवेक्षण पर विचार किया होता तो स्थिति निम्नानुसार होगी:

(राशि रुपये में)

| विवरण                   | वित्तीय विवरणों के अनुसार राशि | हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार उपरान्त राशि |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| संचय एवं अतिरेक         | (—) 182267563                  | (—) 197765584                                |
| अल्प अवधि प्रावधान      | 172987251                      | 187405251                                    |
| वस्तु सूची              | 2711711                        | 2669389                                      |
| अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम | 64491757                       | 63454058                                     |

### **मामलों का अवधारण**

हम अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट '2' पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों में हमारी अंकेक्षण राय नहीं है।

### **अन्य मामले**

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर निम्न का कोई आंतरिक अंकेक्षण नहीं करवाया गया:—

- (i) वित्त वर्ष 2018—19 के लिए राजस्थली जयपुर, राजस्थली कोलकाता, एसीसी कोलकाता, एसीसी एवं कच्चा माल के अतिरिक्त इकाई कार्यालयों का
- (ii) वित्त वर्ष 2019—20 के लिए राजस्थली जयपुर, राजस्थली कोलकाता एवं एसीसी के अतिरिक्त इकाई कार्यालयों का,
- (iii) वित्तीय वर्ष 2020—21 सभी इकाई कार्यालयों का

### **वित्तीय प्रतिवेदनों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षण रिपोर्ट**

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना जिसके मण्डल की रिपोर्ट एवं इसके परिशिष्ट सम्मिलित हैं परन्तु इनमें वित्तीय प्रतिवेदन एवं उन पर हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर राय में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है एवं न ही हम उन पर किसी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है, एवं ऐसा करते समय, विचार करना की उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना, वित्तीय प्रतिवेदनों से वस्तुतः भिन्न अथवा हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी अथवा अन्यथा, अशुद्ध वर्णन प्रतीत होना तो नहीं।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अगर ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि अन्य सूचना में अशुद्ध वर्णन है, तो उसे रिपोर्ट करना हमारा दायित्व है। हमारे पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने योग्य नहीं है।

## **प्रबन्धकीय एवं जिन पर वित्तीय प्रतिवेदनों के संचालन का दायित्व है, का उत्तरदायित्व**

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मण्डल इस धारा में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। जिसमें वित्तीय प्रतिवेदनों के तैयार करने जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि एवं नगदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सके एवं जो लेखांकन सिद्धान्त भारत में आमतौर पर स्वीकार किये जाते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की अनुपालना करें। इस उत्तरदायित्व में शामिल है, कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण करना, समुचित लेखा नीतियों का चयन करना एवं लागू करना, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना तथा अनुमान लगाना तथा लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, क्रियान्वयन एवं अनुपालना करना जिससे वित्तीय प्रपत्र सही एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाते हुए एवं धोखाधड़ी या त्रुटिवश महत्वपूर्ण मिथ्या, प्रकटीकरण से मुक्त तैयार एवं प्रस्तुत किये जा सकें।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबन्धन एवं निदेशक मण्डल कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है कि कम्पनी प्रगतिशील रहे एवं इस दिशा में कार्यशील होने के लिए प्रकटीकरण जैसाकि लागू होता है संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन एवं निदेशक मण्डल या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

## **वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए अंकेंक्षकों के उत्तरदायित्व**

हमारे उद्देश्य हैं कि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जाये कि वित्तीय विवरण पर एक अंकेंक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित है, क्या सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह निश्चित नहीं करता कि लेखा मानकों के अनुरूप किया गया अंकेंक्षण महत्वपूर्ण गलत कथन के विद्यमान होते हुए पता लगाने की लिए पर्याप्त है। धोखाधड़ी त्रुटि से मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से की गई त्रुटि महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा मानकों के आधार पर किये गये अंकेंक्षण में यह भी सम्मिलित है कि हम व्यावसायिक मूल्यांकन एवं व्यवसायिक संशय को अंकेंक्षण के दौरान बनाये रखते हैं। हम इसके साथ ही :

- वित्तीय प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण गलत कथन से उत्पन्न जोखिम का निर्धारण एवं आंकलन करना, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो, ऐसे जोखिम को समझने के लिए अंकेंक्षण की संरचना एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं हमारी राय प्रकट करने के लिए प्राप्त किये गये अंकेंक्षण साक्ष्य जो पर्याप्त एवं उपयुक्त हों, धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखे में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत कथन या अतिरिक्त नियंत्रण की अवहेलना करना।



- अंकेक्षण की प्रक्रियाओं का आकार बनाने के लिए जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (1) के अन्तर्गत राय प्रकट करने का भी हमारा दायित्व है कि क्या कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से चल रहा है।
- प्रयुक्त वित्तीय नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखा अनुमानों की तर्कसंगिता तथा प्रबन्धन द्वारा किया गया संबंधित प्रकटीकरण।
- प्रबन्धन द्वारा लेखांकन के 'गोइंग कन्सरन' के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं अंकेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अस्थिरता की स्थिति विद्यमान है जो किसी घटना अथवा परिस्थिति पर आधारित हो जो कम्पनी की निरन्तरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाले। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण का अपने अंकेक्षण में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, अथवा यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कम्पनी की निरन्तरता पर प्रभाव डाल सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन एवं प्रकटीकरण तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जो प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखते हैं जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, अंकेक्षण की व्यापकता एवं समय-निर्धारण, अंकेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित जो अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिन्हित की गई हो।

हम प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखने वालों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के साथ प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। अतः उन सभी संबंधित व अन्य प्रकरणों में, हमारी स्वातंत्रता पर और जहां लागू हो, वहां न्यायोचित रूप से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है।

प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखने वालों लोगों के साथ संवाद से हमने उन विषयों को निर्धारित किया जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं व मुख्य अंकेक्षण विषय है। हम उन विषयों का अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णन करते हैं जब तक कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण की रोक नहीं हो अथवा अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में यदि हम ये निर्धारित करें कि हमारी रिपोर्ट में मामले का संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रकटीकरण से सार्वजनिक हित की अपेक्षा प्रतिकूल परिणाम अधिक होंगे।

### **अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अन्तर्गत भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की मांग के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर परिशिष्ट, '3' के रूप में जहां तक प्रभावित है, प्रस्तुति कर रहे हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार प्रतिवेदन परिशिष्ट "4" के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

- (ए) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं नीचे दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।
- (बी) ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें संधारित की है, जैसाकि उन पुस्तकों की हमारे द्वारा जांच से प्रकट होता है।
- (सी) इस प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ-हानि प्रपत्र तथा नगद प्रवाह प्रपत्र लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।
- (डी) ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय प्रपत्र अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनी (लेखा) 2014 के नियम 7 जिनमें लेखा मानक अंकित हैं, लेखा मानक 28 (सम्पत्ति की क्षति) एवं लेखा मानक-29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्ति) की अनुपालना की हैं।
- (ई) हमारी राय में कम्पनी के ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों से कम्पनी की कार्यशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- (एफ) यह सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है।
- (जी) अभिलेखों का संधारण और अन्य मामलों से संबंधित क्षमता उपरोक्त क्वालीफाईड ऑपिनियन के लिए आधार में दिये गये विवरण अनुसार है।
- (एच) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एवं इस प्रकार के नियंत्रण की परिचालन पर प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक से रिपोर्ट परिशिष्ट '5' का संदर्भ लें।
- (आई) अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित के प्रावधानों की अनुपालना के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में अन्य मामलों को सम्मिलित किये जाने से संबंधित, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र सं. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है।
- (जे) कम्पनीज (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार हैं :



- (i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित विवादित प्रकरणों के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को घोषित किया है। वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयताएं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में टिप्पणी सं. 22 (बी) में दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा आर.एस.आई.सी. के विरुद्ध शुरू किये गये लम्बित वाद जो अपुष्ट/अप्रमाणित है, को वित्तीय विवरण में घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कम्पनी में कोई दीर्घावधि अनुबंध मय वायदा अनुबंधों के नहीं है जिससे कम्पनी को भविष्य में भारी हानि होने की संभावनाएं हों।
- (iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अन्तर्लित करने योग्य कोई राशि नहीं थी।

**कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी

**कुलदीप सैनी**

भागीदार

**स्थान : जयपुर**

**दिनांक : 24.11.2021**

मेम्बरशिप नं. 441824

यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

## परिशिष्ट – ‘1’ स्वतंत्र अंकेक्षणों का प्रतिवेदन

### क्वालिफिकेशन ऑपिनियन का आधार

#### भाग-I (टिप्पणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता लगाया जा सका)

1. कम्पनी द्वारा लघु सावधि एवं अग्रिम के मद में रु. 1037699/- की राशि को माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत सेवाकर लेनदारी एवं के के सी तथा एस बी सी में दर्शाये जा रहे हैं। क्योंकि कम्पनी द्वारा ट्रांस-1 दाखिल नहीं किया है इसलिए यह मांग निरस्त हो चुकी है एवं इसे लाभ एवं हानि प्रपत्र में दर्शाया जायेगा।
2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां के अन्तर्गत आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में टिप्पणी क्रमांक (बी) (i), जो वित्तीय विवरण का भाग है, के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा आकस्मिक देयताओं में 467.19 लाख रुपये दर्शाये हैं जो कम्पनी के विरुद्ध दावे हैं एवं जिन्हे देनदारियां नहीं माना गया है। इस राशि में शास्तियां/वसूलियां/ब्याज/आर्थिक किराया इत्यादि सम्मिलित हैं जिसे विभिन्न राजकीय विभागों (यथा रीको, कस्टम विभाग, गृहकर, नगरीय विभाग इत्यादि) द्वारा मांग की गई है। इसमें से 206.70 लाख रुपये के ऐसे दावे/देनदारियां हैं जो सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। 116.31 लाख रुपये नगर निगम, जयपुर द्वारा शास्तियां एवं आर्थिक किराये पर ब्याज की देनदारियां दर्शाई गई है। स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2010 द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। प्रबन्धन द्वारा कमिश्नर नगर निगम को त्रुटि सुधार कर देनदारियां से मुक्त करने हेतु लिखा गया है। उनसे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। शेष राशि 144.18 लाख रुपये के संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
3. तृतीय पक्ष के पास रखे गये सामान की पुष्टि उपलब्ध नहीं है जिसमें शिल्पकारों के पास 20402 रुपये एवं अन्य के पास 21920/- का सामान कई वर्षों से है। कम्पनी द्वारा वसूली के लिए न तो इसके लिए कोई ठोस प्रयास किये एवं न ही पुष्टि की। समय अवधि को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि 42322 रुपये की वसूली संदिग्ध है।

#### भाग-II (टिप्पणियां जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका)

1. संचालन एवं परिवहन के ठेकेदारों से वसूली प्रमाणीकरण पर आधारित है इसलिए इस सम्बन्ध में असहमति अथवा विवाद के बारे में जानकारी नहीं है अतः इसका वित्तीय प्रकरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।
2. कम्पनी आयकर एवं आयकर की वापसी के प्रावधान अनुसार मिलान नहीं कर रही है। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम आयकर वापसी की राशि को लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में दर्शाने एवं उक्त राशि की वसूली योग्य वापसी एवं परिणामस्वरूप संलग्न वित्तीय विवरण पर होने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
3. मैसर्स आर एस आर डी सी सी लि. के बकाया भुगतान का निपटारा नहीं करने के संबंध में नोट संख्या (7) (ए) का संदर्भ लें। कम्पनी 4148150 रुपये को दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (स्थायी सम्पत्ति) के मद में पूंजीगत माल के लिए अग्रिम के रूप में दर्शा रही है। इस राशि का सम्बन्ध कई वर्ष पूर्व मैसर्स आरएसआरडीसीसी लि. द्वारा किये गये निर्माण कार्य से है निर्माण कार्य पूर्व वर्षों में पूर्ण हो चुका है। कम्पनी द्वारा पूंजीगत व्यय में भी इसका प्रावधान किया है। किन्तु इस अग्रिम को किये गये प्रावधान में समायोजित नहीं किया। कम्पनी मैसर्स आरएसआरडीसीसी लि. से अच्छी तरह से लेखों का मिलान करने में विफल रही। अन्तिम पुष्टि एवं पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम इसकी मूल कीमत एवं संलग्न वित्तीय विवरण पर इसका परिणामी प्रभाव, अगर कोई है, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. “अन्य चालू देयताएं” शीर्षक में देय ब्याज के मद में दर्शाई गई राशि रुपये 3,99,854 /— के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने के संबंध में टिप्पणी क्रमांक 4 (ए) का संदर्भ ले। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इसका मूल कीमत दर्शाने एवं इसका संलग्न वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, अगर कोई हो, पड़ने पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
5. आई.टी.पी.ओ., दिल्ली के नाम 7.03 लाख रुपये की राशि को अग्रिम दिखाया गया है एवं इसे लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में वर्गीकृत किया गया है। यह राशि पुष्टि के अधीन है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि की मूल कीमत दर्शाने के सम्बन्ध में एवं इसके फलस्वरूप संलग्न वित्तीय अभिलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।
6. एम.एस.एम.ई. लेनदारों को विलम्ब से किये गये भुगतान पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम देय ब्याज की राशि की मात्रा एवं इसके फलस्वरूप संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।
7. समस्त देय प्रतिभूति राशि को अन्य दीर्घकालीन देनदारियां दर्शाया गया है। जबकि इसमें ऐसी राशि सम्मिलित हैं जिसे प्रेषण की तिथि से 12 माह के भीतर सम्बन्धित को लौटाया जाना है। इससे वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसे लघु अवधि देनदारियों में वर्गीकृत करना चाहिए। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि का एवं इसके फलस्वरूप संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।
8. जमा राशि वाले देनदारों को लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं दूसरी ओर ऋणी लेनदारों को देनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके फलस्वरूप चालू सम्पत्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर वर्गीकरण की त्रुटि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।
9. ए.एस. 28 : परिसम्पत्तियों की क्षति “एक प्रतिष्ठापन को प्रत्येक वार्षिक लेखों की तिथि को आंकलन करना चाहिए कि क्या कोई परिसम्पत्ति क्षतिग्रस्त है।” कम्पनी सूचित अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कर रही है। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की क्षति से हुई हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की राशि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।
10. कम्पनी द्वारा समय-समय पर परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण की संदिग्ध या अच्छे के रूप में समीक्षा नहीं की जाती है। इससे ऐसी परिसम्पत्तियां जो वास्तव में संदेहप्रद हैं परन्तु उनका अच्छे में वर्गीकरण करने से प्रावधानों में प्रभाव होता है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

**कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स**  
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
 फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी  
**कुलदीप सैनी**  
 भागीदार

स्थान : जयपुर  
 दिनांक : 24.11.2021

मेम्बरशिप नं. 441824  
 यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

## स्वतंत्र अंकेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – ‘2’

### महत्वपूर्ण मामले

#### (इन मामलों के संबंध में हमारी राय निर्धारित नहीं है)

1. व्यापारिक लेनदारियां, व्यापारिक देनदारियां/बकाया देनदारियां, प्रतिभूति राशि संपुष्टि एवं मिलान के अधीन रहती है। इनमें कुछ पुराने/बिना मेल किये हुए, जिनकी संपुष्टि/मिलान/समाधान शेष है, भी सम्मिलित हैं।
2. कम्पनी के व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी का समग्र प्रभाव भविष्य के स्वास्थ्य और सरकारी स्तरों पर किये गये सामाजिक-आर्थिक उपायों के आधार पर भिन्न हो सकता है। अतः इसलिये विश्वसनीय रूप में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3. कोविड-19 के कारण, आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा प्रारम्भ होने की अवधि यथा 01.04.2020 से 31.03.2021 तक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ठेकेदारों के लिए एमजीआर (न्यूनतम गारंटी राजस्व) और राजस्थली दुकानों में सभी क्यू एस टी काउंटर्स के लिए न्यूनतम गारंटी क्यू एस टी राशि और लाईसेंस शुल्क एवं राजस्थली दुकानों में अप्रुवल काउंटर्स पर सभी सामान के हैडलिंग राशि की छूट दी गई है। उपरोक्त अवधि के लिए क्यू एसटी काउंटर एवं एसीसी के माध्यम से वास्तविक बिक्री पर कमीशन लेने का निर्देश दिया गया। आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो के ठेकेदारों के लिए भी एमजीआर (न्यूनतम गारंटी राजस्व) पर 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के लिए छूट दी गई है। उपरोक्त अवधि के लिए वास्तविक बिक्री पर आय का भाग लेने का निर्णय लिया गया।

कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी

कुलदीप सैनी

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 441824

यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

स्थान : जयपुर

दिनांक : 24.11.2021

## स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-3

(दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के भाग अन्य विधिक एवं नियामक अनिवार्यताओं के अन्तर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

ऐसे नियंत्रण जो हमने उचित पाये एवं हमारे अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि :

### 1. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(ए) कम्पनी द्वारा अचल सम्पत्तियों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये हैं।

(बी) प्रबन्धन द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। तदनुसार अचल सम्पत्तियों की कीमत लेखा पुस्तकों के अनुसार ली गई है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन एवं लेखा मिलान के लम्बित, हम यह सूचित करने में असमर्थ हैं कि भौतिक गणना एवं अचल सम्पत्तियों के लेखों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति है।

(सी) कम्पनी के पास निम्न सम्पत्तियों का उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं।

| क्र.सं. | सम्पत्ति का ब्यौरा                                             | क्षेत्रफल                           | खातों में अंकित मूल्य                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | राजस्थली कोलकाता (गेरीहाट) का शोरूम                            | 88.07 वर्गमीटर (पट्टे पर)           | क्र.सं. 1 एवं 2 की संयुक्त कीमत 10.35 लाख रुपये                                                                                                                                               |
| 2.      | आवासीय फ्लेट कोलकाता                                           | 750 वर्गमीटर (पट्टे पर)             |                                                                                                                                                                                               |
| 3.      | राजस्थली हैण्डीक्राफ्ट माल एम.आई. रोड जयपुर में (जमीन व शोरूम) | 2020 वर्ग गज (पट्टे पर)             | भूमि की कीमत 313.70 लाख रुपये है। (कम्पनी के पास नगर निगम जयपुर द्वारा जारी केवल आवंटन पत्र है।) राजस्थली भवन एवं हैण्डीक्राफ्ट माल का ह्रास मूल्य 213.09 लाख रुपये एवं 576.04 लाख रुपये हैं। |
| 4.      | मुख्यालय भवन (उद्योग भवन, जयपुर)                               | 33944 वर्ग फीट (पूर्ण स्वामित्व का) | भूमि की कीमत 13.69 लाख रुपये एवं भवन की लागत 60.10 लाख रुपये है। (कम्पनी के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कब्जा पत्र है।)                                                                 |
| 5.      | कच्चा माल आगार, भरतपुर                                         | 1264 वर्ग मीटर (पूर्ण स्वामित्व का) | भूमि की कीमत 0.25 लाख रुपये (सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये)                                                                                                    |
| 6.      | आई.सी.डी. सेक्टर-9 भिवाडी                                      | 9112.04 वर्ग मीटर (पट्टे पर)        | भूमि की कीमत 48.75 लाख रुपये। (कम्पनी के पास यू.आई.टी., अलवर द्वारा जारी केवल कब्जा पत्र है।)                                                                                                 |

2. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबंधन ने उचित अंतराल पर स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। इस सत्यापन में संधारित अभिलेख की तुलना पर विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं पाई गई एवं उनकी लेखा पुस्तिका में उचित वर्णित है। इसके अतिरिक्त, 0.20 लाख रुपये मूल्य के सामान जो तृतीय पक्ष— कारीगरों के पास एवं 0.22 लाख रुपये का सामान अन्य के पास कई वर्षों से पड़ा है, की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पुराना प्रकरण होने के कारण 0.42 लाख रुपये संदिग्ध है जिसके सम्बन्ध में लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
3. कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में उल्लेखित कम्पनी द्वारा किसी भी कम्पनियों, फर्मों एवं दायित्व फर्म या पक्षकार कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अतः आदेश की धारा 3 के अनुच्छेद (iii) से (सी) लागू नहीं होते हैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
4. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने किसी निदेशक अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जिसमें निदेशक रुचि रखते हो, न ही ऋण स्वीकृत किया है एवं न ही ऐसा कोई ऋण जो बही ऋण में वर्णित हो एवं न ही कोई प्रत्याभूति अथवा प्रतिभूति किसी ऐसे ऋण के लिए जो उसने लिया हो अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने लिया हो, की गई है। हालांकि कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के उपयुक्त प्रावधानों जिसमें ऋण स्वीकृति, निवेश, प्रत्याभूति एवं प्रतिभूति देना आदि सम्मिलित हैं, की पालना की गई है।
5. ऐसी अग्रिम राशि विद्यमान है जिसे सामान की आपूर्ति अथवा सेवा प्रदान करने में अग्रिम स्वीकार करने की तिथि से 365 दिवस के भीतर समायोजित नहीं किया गया है एवं ऐसे अग्रिम किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के आशय से लम्बित नहीं है। अतः ऐसे अग्रिम निक्षेप के रूप में मानने योग्य है। कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान एवं इस आधार पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। कम्पनी लॉ बोर्ड (सी एल बी) अथवा राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रब्यूनल (एन सी एल टी) अथवा आर बी आई अथवा उच्च न्यायालय अथवा अन्य कोई ट्रब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
6. जैसा हमें सूचित किया गया है, कि कम्पनी द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जैसा निर्दिष्ट किया गया है किसी लागत के अभिलेख संधारित करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं।
7. **वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में**
  - (ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं एकत्र की गई सूचना एवं किये गये पुष्टिकरण के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कम्पनी अविवादित वैधानिक देयताएं मय भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फण्ड, कर्मचारी बीमा निधि, आयकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं जो इन पर लागू हैं, को सक्षम प्राधिकारों के पास जमा करने में प्रायः नियमित है। इसके अतिरिक्त हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई अविवादित उपरोक्त



वर्णित वैधानिक देयताएं निम्नलिखित को छोड़कर दिनांक 31.03.2021 को बकाया नहीं थी जो कि उनकी देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए अदत्त रही हो।

1. पुरानी भविष्य निधि की राशि रु. 107695 /—
2. पुराना विक्रय कर राशि रु. 65994 /—
3. व्यावसायिक कर राशि रु. 1083 /—
4. कम्पनी पट्टा किराया कर, भवन कर के भुगतान में नियमित नहीं है। निगम के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक निम्न अविवादित राशि का भुगतान करना शेष है (जिसमें मांग के आधार पर ब्याज एवं शास्ति सम्मिलित है।)

| वैधानिक देयता का नाम                     | देय की प्रकृति               | राशि (लाखों में) | राशि किस अवधि से संबंधित है  |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| (अविवादित) लीज किराया<br>(मय ब्याज सहित) | आई.सी.डी. भिवाडी             | 168.15           | अप्रैल 1999 से<br>मार्च 2021 |
| भवन कर और यू.डी. टैक्स                   | आरएसआईसी,<br>मुख्यालय, जयपुर | 3.89             | मार्च 2021 तक                |
| भवन कर                                   | राजस्थली कोलकाता             | 1.44             | मार्च 2021 तक                |

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि निगम के पास गृह कर की मांग के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. निगम के आयकर से संबंधित खाते मिलान किये जा रहे हैं एवं आयकर विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में जारी की गई मांग की सही सही जानकारी एवं उनका निगम के खातों को किये गये मिलान की सही सूचना भी निगम के पास उपलब्ध नहीं है। अतः इस विषय में हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
6. निगम में जीएसटी से सम्बन्धित खाते अनुपयुक्त हैं। जीएसटी की विवरणियों का लेखा पुस्तकों के साथ मिलान निगम में उपलब्ध नहीं है। अतः हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर आयकर/विक्रय कर/सम्पत्ति कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/सैस का कोई वैधानिक कर का दायित्व लम्बित नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं करवाया हो, केवल निम्न को छोड़कर जिसमें विवादास्पद होने के कारण निगम द्वारा विक्रय कर एवं सेवा कर जमा नहीं करवाये हैं:



| देय राशि का नाम                | राशि (रूपये में)   | राशि किस अवधि से संबंधित है | विवाद कहाँ लम्बित है                                                                               |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आरएसटी                         | 76,335             | 2005-06                     | कम्पनी ने वांछित दस्तावेज/जानकारी सक्षम प्राधिकारी को मांग अपस्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिये हैं। |
| वेट                            | 68,513             | 2006-07                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 60,132             | 2007-08                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 51,14,300          | 2011-12                     | वैट रिटर्न में मिलान नहीं होने बाबत कम्पनी द्वारा विभाग को ज्ञापन दिया है।                         |
| वेट                            | 29,87,434          | 2012-13                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 54,73,680          | 2013-14                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 60,85,030          | 2014-15                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 20,70,490          | 2015-16                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 18,33,710          | 2016-17                     |                                                                                                    |
| वेट                            | 58,98,750          | 2017-18                     |                                                                                                    |
| <b>कुल</b>                     | <b>2,96,68,374</b> |                             |                                                                                                    |
| (इन मांगों पर ब्याज अतिदेय है) |                    |                             |                                                                                                    |
| आयकर                           | 3,00,040           | 31.03.2021 तक               | टीडीएस मांग                                                                                        |

## 8. ऋण एवं उधार का पुर्नभुगतान

हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी द्वारा देय राशि का निम्न पुर्नभुगतान करने में देरी की :

| क्र.सं. | नाम            | राशि रु. | से देय        |
|---------|----------------|----------|---------------|
| 1.      | राजस्थान सरकार | 2500000  | 26 मार्च 2011 |
| 2.      | राजस्थान सरकार | 2500000  | 26 मार्च 2012 |
| 3.      | राजस्थान सरकार | 2500000  | 26 मार्च 2013 |

दिनांक 26.07.2018 को आयोजित एसआरएफ के प्रबन्धन की बैठक के आधार पर, आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा एस आर एफ को देय ऋण एवं ब्याज को दीर्घ अवधि उधार माना है। प्रबन्धन का विचार है कि इसका संदर्भित तिथि से 12 माह के भीतर पुर्नभुगतान देय नहीं होगा। अतः इसे देरी से किया गया पुर्नभरण नहीं माना जाता।

9. अंकेक्षण की अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव/ऋण उपकरणों सहित एवं अवधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश की धारा 3 (ix) में दिये गये प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।
10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला न तो जानकारी में आया न ही सूचित किया।
11. यह राज्य सरकार की कम्पनी होने के कारण, दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है। इसलिए आदेश का पैरा 3 (xi) लागू नहीं है।
12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, अतः आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।
13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी द्वारा पक्षकारों के साथ किया गया व्यवहार कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसरण में है। जहां उपयुक्त है वहां लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रकटीकरण किया गया है।
14. अंकेक्षण में अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कोई तरजीह आवंटन या शेयरों को निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किये हैं। तदनुसार आदेश की धारा 3 (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर नगदी व्यवहार नहीं किये हैं। अतः आदेश की धारा 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—1 (ए) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश की धारा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

**कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी

**कुलदीप सैनी**

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 441824

यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

**स्थान : जयपुर**

**दिनांक : 24.11.2021**

## स्वतंत्र अंकेक्षण की रिपोर्ट का परिशिष्ट-4

(दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के भाग अन्य विधिक एवं नियामक अनिवार्यताओं के अन्तर्गत पैरा 2 का संदर्भ लें)

अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार हमारा कथन निम्नानुसार है :—

| क्र.सं. | निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                           | की गई कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वित्तीय व्यक्तियों पर प्रभाव                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली है? अगर हां, लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया अगर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बिना की जाये तो उसका अखण्डता पर प्रभाव एवं इसका वित्तीय भार, अगर कोई हो वर्णन करें। | कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों का वर्ष के अन्त में आई टी प्रणाली के माध्यम से इकाईवार लेखा पुस्तकों का संधारण किया जाता है। लेखा पुस्तकों के एकीकरण हस्त लेखन से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इकाइयों यथा राजस्थली जयपुर, कोलकता एवं दिल्ली की लेखा पुस्तकें हस्त लेखन से संधारित की जाती हैं। कई वित्तीय लेनदेन को आई टी प्रणाली में एक एकल प्रविष्टि से संयुक्त रूप से पारित/ बुक किये जाते हैं। प्रथम कर्ता एवं जांचकर्ता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। आईटी प्रणाली में अधिकांश प्रविष्टियां बिना किसी कथन के की जाती हैं। कोई केन्द्रीय ईआरपी प्रणाली नहीं है। आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसाकि लेनदारों को अधिक भुगतान, जीएसटी क्रेडिट का कम उत्क्रमण, टीडीएस की अनुपालन का सत्यापन। | हम लेखों की प्रमाणिकता पर आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं। |
| 2.      | क्या किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा कम्पनी के किसी ऐसे ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया अथवा कर्ज/ऋण/ ब्याज इत्यादि की राशि के अधित्याग/ बड़े खाते डाला हो जब कम्पनी ऋण चुकाने में समर्थ हो?                                                                                | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुरूप, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ ब्याज की राशि के अधित्याग/ बड़े खाते डालने का कोई प्रकरण नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कोई नहीं।                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. | क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई/प्राप्त करने योग्य धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार समाधान/उपयोग किया गया? भिन्ता वाले प्रकरणों की सूची। | हमें दी गई सूचना तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, के अनुरूप, हमारे मत में वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत धन प्राप्त नहीं हुआ। | कोई नहीं। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| क्र.सं. | कम्पनी विशेष निर्देश                                                                                                                                                   | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई। प्राप्त करने योग्य धनराशि का समाधान/उपयोग किया गया? भिन्ता वाले प्रकरणों की सूची। | हमें दी गई सूचना तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, के अनुरूप, हमारे मत में वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत धन प्राप्त नहीं हुआ।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.      | क्या बैंक गारंटी को समय पर पुनर्वैधीकरण किया गया?                                                                                                                      | हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पर्ष्टीकरण के अनुसार 31.03.2021 तक 5.69 लाख रुपये की बैंक गारंटी है। चालू वर्ष में पुनर्वैधीकरण में देरी करने का कोई प्रकरण नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.      | व्यापारिक प्राप्तियां, व्यापारिक देयताओं, सावधि जमाओं, बैंक खातों एवं नगद प्राप्त की गई राशि का पुष्टिकरण पर टिप्पणी                                                   | व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं की शेष राशि की पुष्टि निगम द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। इसका हमारे द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट में भी संज्ञान लिया गया है। वर्ष के अन्त में बैंक में शेष राशि की पुष्टि की जाती है। सावधि जमा की अंतवैधता का सावधि जमा की पावती पत्र से सत्यापन किया जाता है। हालांकि सावधि जमा की शेष राशि का बैंक से सत्यापन नहीं किया जाता है।<br><br>प्रबन्धन द्वारा नगदी का भौतिक सत्यापन किया जाता है एवं कोई विसंगति उनके द्वारा नहीं पाई/सूचित की गई। |

**कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी

**कुलदीप सैनी**

भागीदार

स्थान : जयपुर

दिनांक : 24.11.2021

मेम्बरशिप नं. 441824

यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

## स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट का परिशिष्ट- 5

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के भाग अन्य विधिक एवं नियामक अनिवार्यताओं के अन्तर्गत पैरा 3 (एच) का संदर्भ लें।

### कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (दि कम्पनी) के 31.03.2021 तक के वित्तीय प्रपत्रों का अंकेक्षण किया एवं इसी के साथ इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण भी किया।

#### आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबन्धन के दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के दिशा-निर्देश नोट में अंकित किया गया है। इन दायित्वों के व्यवसाय को व्यवस्थित एवं कुशल ढंग से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव एवं कम्पनी की नीतियों की पालना सम्मिलित है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यता सुनिश्चित करना एवं समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना आवश्यक है।

#### अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' का दिशा-निर्देश नोट (द दिशा-निर्देश नोट) एवं अंकेक्षण के मानक जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू सीमा तक प्रभावी है एवं जिन्हें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर भी एवं जिन्हें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार अंकेक्षण किया। इन मानक एवं दिशा-निर्देश नोट की आवश्यकता होती है कि हम नैतिकता की पालना करें तथा अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित एवं आयोजित करें जिससे उचित सीमा तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित था और प्रयोजन में लाया जा रहा था एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उसके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संदर्भ में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना किसी महत्वपूर्ण कमजोरी से उत्पन्न ऐसे जोखिम का आंकलन एवं आंतरिक नियंत्रण जो जोखिम के आंकलन उपरान्त स्थापित किये गये हो के स्वरूप और परिचालन में प्रभावशीलता मूल्यांकन करना है। प्रक्रियाओं का चयन अंकेक्षक के विवेक पर है जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में भ्रामक जानकारी की जोखिम का निर्धारण शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि कम्पनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो—

- (1) अभिलेखों के संधारण से सम्बन्धित है तथा ये अभिलेख कम्पनी के लेन—देन तथा परिसम्पत्तियों के वितरण का उपयुक्त विवरण, परिशुद्ध व स्पष्ट रूप से दर्शाते हो।
- (2) पर्याप्त आश्वासन देती है कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकतानुसार लेन—देन रिकार्ड किये जाते हैं तथा कम्पनी की प्राप्तियां तथा व्यय कम्पनी के प्रबन्ध वर्ग तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जाते हैं, तथा
- (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है, के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा वितरण को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं तथा नियंत्रणों की कपटपूर्ण अथवा अनुपयुक्त प्रबन्धन की संभावना के कारण भूलवश अथवा धोखाधड़ी से वित्तीय विवरणों में त्रुटि हो सकती है तथा उनका पता न लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी समयावधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों से ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अनुपयुक्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में कमी आ सकती है।

### महत्वपूर्ण मामले

हम निम्न मामलों में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं :—

1. कम्पनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों को आई टी प्रणाली से नियमित रूप से संधारण नहीं किया जाता है। लेखा पुस्तकों का एकीकरण मैनुअली किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इकाइयों यथा राजस्थली दिल्ली द्वारा लेखा पुस्तकों को अभी भी मैनुअली किया जाता है। लेखा प्रविष्टियों का लेनदेन आई टी प्रणाली के अतिरिक्त करने से आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है।
2. प्रविष्टियों को जोड़कर आई टी प्रणाली में एक सामुहिक प्रविष्टि के रूप में इन्द्राज किया जाता है। बहुत सी लेखा प्रविष्टियां मरकेन्टाइल/एकरूपल आधार के स्थान पर नगद आधार पर की जाती हैं।
3. कथन उचित नहीं है।



4. भुगतान को आपूर्ति बिल के साथ प्रति संदर्भ/चिन्हित नहीं किया जाता।
5. प्रथमकर्ता तथा जांचकर्ता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता।
6. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता, जिसके कारण लेखा पुस्तकों में सम्पत्तियों की क्षति का लेखांकन/प्रावधान नहीं किया गया।

हमारी राय में परिशिष्ट '1' में दी गई क्वालिफाईड ऑपिनियन के आधार पर पड़ने वाले मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारी श्रेष्ठ सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी द्वारा उचित एवं निष्पक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित है। 31.03.2021 की स्थिति में आंतरिक नियंत्रण में सुधार एवं प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

**कृते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0004915 सी

**कुलदीप सैनी**

भागीदार

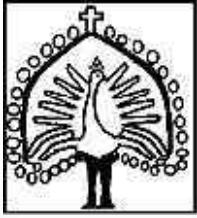
**स्थान : जयपुर**

**दिनांक : 24.11.2021**

मेम्बरशिप नं. 441824

यूडीआईएन : 21441824एएएकेजी9191





## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

वेब साईट : <http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico>, ई-मेल : [rajsico@rajasthan.gov.in](mailto:rajsico@rajasthan.gov.in)

CIN : U91110RJ961SGC001118

# वार्षिक लेखे 2020-21

# वार्षिक लेख

## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2021 का

| विवरण                                   | नोट सं. | 31.03.2021 को |               | 31.03.2020 को |               |
|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |         |               | रु.           |               | रु.           |
| <b>अंश पूंजी एवं दायित्व</b>            |         |               |               |               |               |
| <u>अंशधारकों का कोष</u>                 |         |               |               |               |               |
| अंश पूंजी                               | 1       | 69,640,300    |               | 69,640,300    |               |
| संचय एवं अतिरेक                         | 2       | (182,267,563) | (112,627,263) | (181,076,519) | (111,436,219) |
| <u>शेयर आवेदन पूंजी विचाराधीन आवंटन</u> |         |               |               |               |               |
| <b>अचल दायित्व</b>                      | 3       |               |               |               |               |
| दीर्घावधि ऋण                            | 3.1     | 82,102,904    |               | 79,832,405    |               |
| अन्य दीर्घावधि ऋण                       | 3.2     | 45,290,495    |               | 42,230,073    |               |
| दीर्घावधि प्रावधान                      | 3.3     | 19,676,691    | 147,070,090   | 23,203,409    | 145,265,887   |
| <b>चल दायित्व</b>                       | 4       |               |               |               |               |
| लघु दायित्व                             | 4.1     | —             |               |               |               |
| व्यापारिक देयताएं                       | 4.2     | 123,653,843   |               | 127,670,361   |               |
| अन्य चल देयताएं                         | 4.3     | 68,567,379    |               | 55,992,024    |               |
| लघु अवधि प्रावधान                       | 4.4     | 172,987,251   | 365,208,473   | 162,380,101   | 346,042,486   |
| <b>कुल</b>                              |         |               | 399,651,299   |               | 379,872,154   |
| <b>सम्पत्तियाँ</b>                      |         |               |               |               |               |
| <b>अचल सम्पत्तियाँ</b>                  |         |               |               |               |               |
| सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण             | 5       | 135,047,121   |               | 142,399,178   |               |
| मूर्त सम्पत्तियाँ                       |         |               |               |               |               |
| पूंजीगत कार्य की प्रगति                 |         |               | 135,047,121   |               | 142,399,178   |
| अचल विनियोजन                            | 6       | 286,140       | 286,140       | 286,140       | 286,140       |

|                                                                   |           |             |                    |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम                                           | 7         | 6,822,034   | 6,822,034          | 6,186,722   | 6,186,722          |
| अन्य अचल सम्पत्तियाँ                                              | 8         |             | —                  |             | —                  |
| <b>चल सम्पत्ति</b>                                                | <b>9</b>  |             |                    |             |                    |
| रहतिरियाँ                                                         | 9.1       | 2,711,711   |                    | 3,538,107   |                    |
| व्यापारिक प्राप्ताएँ                                              | 9.2       | 6,399,395   |                    | 7,920,578   |                    |
| नगद एवं बैंक शेष                                                  | 9.3       | 179,875,236 |                    | 155,474,346 |                    |
| लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम                                            | 9.4       | 64,491,757  |                    | 60,281,469  |                    |
| अन्य चल सम्पत्तियाँ                                               | 9.5       | 4,017,906   | 257,496,004        | 3,785,614   | 231,000,114        |
| <b>कुल</b>                                                        |           |             | <b>399,651,299</b> |             | <b>379,872,154</b> |
| <b>महत्व पूर्ण लेखा नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ</b> | <b>22</b> |             |                    |             |                    |

डॉ. आकाश आल्हा  
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन  
कम्पनी सचिव

डॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डीआईएन 07685462

अर्चना सिंह  
निदेशक  
डीआईएन 06785834

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 24.11.2021

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

# दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

लाभ एवं हानि प्रपत्र

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

| विवरण                                                                         | नोट सं. | 31.03.2021 को |              | 31.03.2020 को |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                               |         |               | रु.          |               | रु.          |
| <b>आय</b>                                                                     |         |               |              |               |              |
| परिचालन से आय                                                                 | 10      |               | 289,411,113  |               | 205,105,425  |
| घटाये: उत्पाद शुल्क                                                           |         |               |              |               |              |
| शुद्ध परिचालन से आय                                                           |         |               | 289,411,113  |               | 205,105,425  |
| अन्य आय                                                                       | 11      |               | 36,061,816   |               | 30,598,398   |
| <b>कुल राजस्व</b>                                                             | (ए)     |               | 325,472,928  |               | 235,703,823  |
| <b>व्यय:</b>                                                                  |         |               |              |               |              |
| उपभोग माल की लागत                                                             | 12      |               | 78,152       |               | —            |
| क्रय माल का स्कतन्दा                                                          | 13      |               | 58,766,716   |               | 46,818,786   |
| स्टॉक चालू स्टॉक व तैयार माल की पंक्तियाँ में परिवर्तन                        | 14      |               | 851,376      |               | 1,079,166    |
| कर्मचारी अनुलाभ व्यय                                                          | 15      |               | 41,021,821   |               | 43,474,711   |
| वित्तीय लागत                                                                  | 16      |               | 3,237,451    |               | 3,273,929    |
| मूल्यह्रास एवं अपलेखन                                                         | 5       |               | 5,142,000    |               | 5,265,848    |
| अन्य व्यय                                                                     | 17      |               | 21,75,64,933 |               | 13,09,26,011 |
| <b>कुल व्यय</b>                                                               | (बी)    |               | 326,662,448  |               | 230,838,451  |
| लाभ/(हानि) पूर्व अवधि की मदों, अपवादस्वरूप मदों, असाधारण मदों एवं कर से पूर्व | (ए-बी)  |               | (1,189,520)  |               | 4,865,372    |
| घटाईये: अपवाद स्वरूप मदें                                                     | 20      |               | 1,957        |               | 215,768      |
| पूर्वावधि मदें                                                                | 19      |               | 2,407,489    |               | (1,591,259)  |
| अतिरिक्त प्रावधान/अल्पं शेष राशि वापिस                                        | 18      |               | 10,467       |               | 188,562      |
| लाभ/(हानि) असाधारण मदों एवं कर से पूर्व                                       |         |               | 1,230,393    |               | 3,678,443    |

|                                                          |    |  |           |  |           |
|----------------------------------------------------------|----|--|-----------|--|-----------|
| जोड़िये: असाधारण मदों                                    |    |  |           |  |           |
| लाभ/(हानि) कर से पूर्व                                   |    |  | 1,230,393 |  | 3,678,443 |
| कर व्यय                                                  |    |  |           |  |           |
| (ए) इस वर्ष का चालू कर व्यय                              |    |  |           |  |           |
| (बी) पूर्व वर्षों का कर व्यय                             |    |  | —         |  | 122516    |
| (सी) स्थगित कर का प्रावधान                               |    |  | —         |  | 0         |
| वर्ष के लिए का लाभ/(हानि)                                |    |  | 1,230,393 |  | 3,555,927 |
| प्रधान एवं परिवृद्धि प्रत्येक इक्विटी शेयर आय            | 21 |  | 1.77      |  | 5.11      |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ वित्तीय 22 विवरणों पर टिप्पणियाँ |    |  |           |  |           |

डॉ. आकाश आल्हा  
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन  
कम्पनी सचिव

डॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डीआईएन 07685462

अर्चना सिंह  
निदेशक  
डीआईएन 06785834

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 24.11.2021

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

वर्ष के अन्त 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत रोकड प्रवाह विवरण  
(अप्रत्यक्ष विधि)

| विवरण                                                                                      | 31 मार्च 2021 के आंकड़े<br>(रु.) |            | 31 मार्च 2020 के आंकड़े<br>(रु.) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| ए. परिचालन कार्यकलाप से नगदी प्रवाह<br>कर पूर्व शुद्ध हानि/लाभ एवं विशेषपद<br>समायोजन हेतु |                                  | 1,230,393  |                                  | 3,678,443  |
| प्रावधान                                                                                   | -3,526,718                       |            | -3,568,226                       |            |
| ह्रास                                                                                      | 5,142,000                        |            | 5,265,848                        |            |
| स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से हानि/निष्क्रिय<br>सम्पत्तियां                              | 0                                |            | 0                                |            |
| स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ                                                        | -1,957                           |            | -215,768                         |            |
| प्राप्त, ब्याज                                                                             | -7,506,141                       |            | -9,884,283                       |            |
| प्राप्त लाभांश                                                                             | -9,514                           |            | -29,565                          |            |
| ब्याज भुगतान                                                                               | 3,162,549                        |            | 3,114,253                        |            |
|                                                                                            |                                  | -2,739,781 |                                  | -5,317,741 |
| कार्य पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ                                                     |                                  | -1,509,388 |                                  | 1,639,298  |
| कार्य पूंजी का समायोजन :                                                                   |                                  |            |                                  |            |
| परिसम्पद में वृद्धि/कमी                                                                    | 826,396                          |            | 1,069,507                        |            |
| व्यापार प्राप्तियां में वृद्धि/कमी                                                         | 1,521,183                        |            | -264,289                         |            |
| लघु ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी                                                           | -4,210,288                       |            | 1,092,575                        |            |
| अन्य चल सम्पत्तियों में वृद्धि/कमी                                                         | -232,291                         |            | 3,696,131                        |            |
| देय व्यापार में वृद्धि/कमी                                                                 | -4,016,518                       |            | 239,861                          |            |
| अन्य चल दायित्वों में वृद्धि/कमी                                                           | 12,575,355                       |            | 3,124,438                        |            |
| लघु अवधि प्रावधान                                                                          | 10,607,150                       | 17,070,987 | -11,368,530                      | -2,410,307 |
| परिचालन से शुद्ध नगदी प्रवाह                                                               |                                  | 15,561,599 | -4,049,606                       | -4,049,606 |
| घटाईये : पूर्व वर्ष का कर व्यय                                                             |                                  |            | 0                                | -122516    |
| परिचालन कार्यकलाप से शुद्ध नगदी प्रवाह (ए)                                                 |                                  | 15,561,599 |                                  | -4,172,122 |
| बी. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह                                                        |                                  |            |                                  |            |
| प्राप्त ब्याज                                                                              | 7,506,141                        |            | 9,884,283                        |            |

|                                                                |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| प्राप्त लाभांश                                                 | 9,514              |                    | 29,565             |                    |
| स्थाई सम्पत्तियों के क्रय (अनुदान से की गई, क्रय के अतिरिक्ति) | -211,422           |                    | -3,147,671         |                    |
| स्थाई सम्पत्तियों के विक्रय                                    | 2,000              |                    | 45,829,918         |                    |
| अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों में कमी                       | 0                  |                    | -45,595,621        |                    |
| दीर्घ अवधि के ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि                         | -635,312           |                    | 202,500            |                    |
|                                                                |                    | 6,670,921          |                    | 7,202,974          |
| <b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह</b>                   |                    | 22,232,520         |                    | 3,030,853          |
| <b>सी. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| ब्याज का भुगतान                                                | -3,162,549         |                    | -3,114,253         |                    |
| दीर्घ अवधि ऋण                                                  | 2,270,499          |                    | 2,263,661          |                    |
| दीर्घकालिक लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान                          | 3,060,422          |                    | 1,779,901          |                    |
|                                                                |                    | 2,168,372          |                    | 929,309            |
| <b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह</b>                 |                    | 24,400,892         |                    | 3,960,162          |
| <b>नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि एवं अन्य बैंक शेष</b>    |                    |                    |                    |                    |
| नगद एवं नगद समकक्ष में प्रारम्भिक शेष                          | 83,943,357         |                    | 69,974,471         |                    |
| 90 दिनों से अधिक समय तक एफडीआर का प्रारम्भिक शेष               | 69,761,898         |                    | 80,268,823         |                    |
| 12 महिने से अधिक एफडीआर के प्रारम्भिक शेष                      | 398,254            |                    | 0                  |                    |
| एफडीआर पर अर्जित ब्याज का प्रारम्भिक शेष                       | 1,370,837          | 155,474,346        | 1270890            | 151,514,184        |
| 90 दिवस तक की एफडीआर नगद एवं नगद समकक्ष में सम्मिलित           | 96,027,811         |                    | 83,943,357         |                    |
| 90 दिन से अधिक की एफडीआर                                       | 78,536,165         |                    | 69,761,898         |                    |
| 12 महिने से अधिक की एफडीआर                                     | 3,875,346          |                    | 398,254            |                    |
| एफडीआर पर अर्जित ब्याज                                         | 1,435,915          | 179,875,237        | 1,370,837          | 155,474,346        |
| <b>अंतिम बकाया</b>                                             | <b>179,875,237</b> | <b>179,875,238</b> | <b>155,474,346</b> | <b>155,474,346</b> |

डॉ. आकाश आल्हा पी.के. जैन  
मुख्य लेखाधिकारी कम्पनी सचिव

डॉ. राजेश शर्मा अर्चना सिंह  
प्रबन्ध निदेशक निदेशक  
डीआईएन 07685462 डीआईएन 06785834

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 24.11.2021



## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का भाग

(31.03.2021 तक के तुलन-पत्र एवं इस तिथि तक के लाभ एवं हानि खातों का विवरण का भाग)

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

#### (ए) लेखा नीतियाँ

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर उपार्जन पद्धति पर एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों एवं लेखा मानकों जैसे लागू हैं एवं जिन्हें कम्पनी द्वारा निरन्तर अपनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का उल्लेख निम्नानुसार है :

#### 1. अनुमान का उपयोग:

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने में अनुमान एवं अन्दाज लगाने होते हैं जो वित्तीय प्रपत्रों की तिथि को सम्पत्तियों एवं दायित्वों की उद्धरित राशि एवं प्रतिवेदित अवधि में आय अतः व्याय को प्रभावित करते हैं। अनुमानों एवं वास्तविक परिणामों के मध्य किसी अन्तर को उस अवधि में अभिलिखित किया जाता है जिसमें ज्ञात हो/उत्पत्ति हो।

#### 2. तुलन-पत्र तिथि के बाद की घटना:

तुलन-पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटना, जिसका कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को कंपनी के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संज्ञान में लिया जाता है।

#### 3. पूर्वावधि और असाधारण एवं विशिष्ट मद:

पूर्वावधि एवं असाधारण, विशिष्ट मद तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (अगर कोई हो) जिसका कम्पनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को जहां भी आवश्यक हो उल्लेख किया जाता है।

#### 4. राजस्व मान्यता :

राजस्व इस सीमा तक मान्य है कि कम्पनी को मिलने वाले संभावित आर्थिक लाभ को राजस्व की विश्वसनीयता से आंका जा सकता है।

- (i) माल की बिक्री से होने वाले राजस्व को तब आंका जाता है जब कम्पनी द्वारा उत्पादों के स्वामित्व को महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल को स्थानान्तरित कर दिया जाता है।
- (ii) क्रय तथा बिक्री को, बिक्री कर, दर अन्तर एवं उत्पाद शुल्क, का शुद्ध प्रतिफल कहा जाता है। क्रय में उसका भाड़ा एवं दलाली की कीमत गैर-समायोज्य शुल्क सम्मिलित है जिसे इस प्रकार के क्रय के लिए दिया गया हो।

- (iii) ब्याज से आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है। लाभ एवं हानि के प्रपत्रों में ब्याज से आय को "अन्य आय" के मद में सम्मिलित किया जाता है।
- (iv) सेवा लेन-देन से अर्जित राजस्व, अगर कोई हो, को लाभ एवं हानि लेखों में पृथक से दर्शाया जाता है। पिछले वर्ष के अन्त तक कोई सेवा लेन-देन चलन में नहीं है।

## 5. उधार की लागत :

उधार की लागत में अर्हक सम्पत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित राशि को उस सम्पत्ति की लागत में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हकारी सम्पत्ति एक परिसम्पत्ति है जिसे आवश्यक रूप से इसके उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधार की लागत को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिसमें व्यय की गई है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

## 6. अनुदान सहायता :

अनुलग्नक 'ए' में वर्णित व्यय एवं प्राप्ति जैसे अनुदान सहायता के सम्बन्ध में दर्शाई गई है उस प्रकार लाभ एवं हानि लेखों के अन्तर्गत प्रपत्रों में नहीं दिखाई गई।

## 7. निवेश :

- (i) दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। हालांकि किसी स्थाई गिरावट को दीर्घावधि निवेश को अग्रेषित की जाने वाली राशि में ऐसी राशि से कम किया जाता है।
- (ii) वर्तमान निवेश को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर उद्धरित किया जाता है।

## 8. मूल्यहास:

- (i) भूमि :- लीज अवधि के आधार पर लीज होल्ड भूमि के संबंध में खातों में परिशोधन प्रदान किया जाता है।
- (ii) अन्य स्थाई सम्पत्तियां :- स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यहास धटक मूल्य पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में दी गई दरों तथा पद्धति के अनुसार मूल्यहास राशि तक लगाया जाता है। प्रिन्टर को प्रिन्टर के उपकरण के समान माना जाता है एवं इन पर मूल्यहास सम्पत्ति के अनुसार चार्ज किया गया। उपयोग अवधि को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची- II के भाग (सी) में दिये अनुसार लिया गया है। सभी अव्यावहारिक सम्पत्ति का अवशिष्ट मूल्य 5 प्रतिशत माना जाता है।

## 9. सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण (एएस-10) :

अचल सम्पत्ति लागत पर, संचित मूल्यहास का कुल संचित क्षीणता से हानि, अगर कोई हो, बताई गई है। लागत में उसके क्रय मूल्य के साथ, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा हो जाता है तो उधार लेने की लागत एवं उसके वांछित प्रयोजन तक उपयोगी बनाने हेतु व्यय की गई लागतें भी सम्मिलित हैं। खरीद मूल्य तक पहुंचने के लिए कोई व्यापार छूट एवं रिबेट को कम कर दिया जाता है।

**10. सेवानिवृत्ति लाभ :**

**ग्रेच्युटी :** निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ले रखी है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को देय वार्षिक योगदान एक्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि खातों में खर्च के मद में लिखा जाता है।

**11. अवकाश नगदीकरण :** कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर होने वाले अवकाश नगदीकरण के लाभ का आंकलन निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर दायित्व का प्रावधान क्रमिक आधार पर किया गया है। आर.एस.आई.सी. सेवा नियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी चिकित्सा. अवकाश का नगदीकरण नहीं किया जाता।

**12. राजकीय अनुदान:**

(i) पूंजीगत व्यय के लिए : पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित सम्पत्ति का पूंजीकरण कर पूंजी आरक्षित में स्थानान्तरित किया जाता है एवं सम्बन्धित सम्पत्ति के आर्थिक सहायता वाले मांग के आनुपातिक ह्रास को पूंजी आरक्षित लेखों में प्रावधान किया जाता है एवं उपयोग में नहीं लिये गये अनुदान को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है।

(ii) अन्य के लिए : राजस्व व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित मद/योजना के व्यय के विरुद्ध दर्शाया जाता है। उपयोग में लेने से पूर्व इसे देनदारी दर्शाया जाता है।

**13.** अन्य आय, भण्डारन जो वसूल नहीं किया गया, हैण्डलिंग शुल्क, वारफेज शुल्क, विवादित किराया, अवकाश नगदीकरण, कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन राशि जो प्रोत्साहन योजना (हस्तशिल्पों) के अतिरिक्त को वास्तविक प्राप्तियों/भुगतान के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

**14.** कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर ब्याज की गणना, उन कर्मचारियों के पक्ष में जो निगम छोड़ चुके हैं, प्राप्त होने पर लेखांकन किया जायेगा।

**15.** बिक्री में माल के स्थानान्तरण पर व्यय शामिल है।

**16. व्यापारगत माल का मूल्यांकन**

(ए) लोहा एवं इस्पात इत्यादि व्यापारगत माल को एफ.आई.एफ.ओ. पद्धति से क्रय की कीमत के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

(बी) केन्द्रीय भण्डार एवं डीडीआरसी के व्यापारगत माल को एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार लागत के या मानक लागत या वसूली योग्य मूल्य के आधार पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है। एम्पोरियम के माल का मूल्यांकन केन्द्रीय भण्डार एवं डी डी आर सी इत्यादि के निर्गम मूल्य पर अथवा एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। पूर्व के वर्षों की भांति अनुमानित आधार पर दुकान पर कलुषित एवं क्षतिग्रस्त हस्तशिल्प वस्तुओं के मूल्य को 45 प्रतिशत (राजस्थली, केन्द्रीय भण्डार इत्यादि) एवं 30 प्रतिशत (एस एस डी विंग) पर आंकलन किया गया है।

- (सी) भण्डार की वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे एवं कच्चा माल को प्रायः एफ आई एफ ओ पद्धति पर लागत की कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है।
- (डी) कार्य प्रगति पर को लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

#### 17. कराधान —

- (i) वर्तमान कर में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत आय पर लगने वाले, अगर कोई हो तो, आयकर का प्रावधान किया गया है।
  - (ii) आस्थगित कर का प्रावधान समय के आधार पर विवेकपूर्ण विचार कर, जो कर योग्य आय एवं लेखा पद्धति से आय, जो एक समय में आरम्भ होती है एवं एक अथवा अधिक आगामी समय में समर्थ है अथवा परिवर्तनीय है।
  - (iii) आस्थगित कर संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना कर की दरें एवं कर कानून जो तुलन-पत्र की तिथि तक पारित किये जा चुके हो के आधार पर की जाती है। परन्तु वर्ष के दौरान कोई डी टी ए / डी टी एल का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की अनिश्चयता होने के कारण जिससे पूर्व के वर्षों की संचित हानि का समायोजन हो सके।
18. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में वर्णित सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को चालू अथवा अप्रचलित प्रस्तुत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं प्राप्ति के आधार पर कम्पनी ने 12 महीनों से कम समय के अपने परिचालन चक्र को सुनिश्चित किया है। तदनुसार सम्पत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए बारह महीने की अवधि पर विचार किया गया है।
19. नगदी प्रवाह विवरण : (एएस-3) अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर नगदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर से पहले लाभ/(हानि) गैर-नगद प्रकृति के लेन-देन एवं कोई आस्थगित अदायगी या अभिवृद्धि, पूर्व या भविष्य की नगद प्राप्तियां या भुगतान के प्रभावों का समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम्पनी के परिचालन, निवेश एवं वित्त पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह अलग हो जाता है। नगदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए नगद और नगद समतुल्य में नगद बैंक में एवं हाथ में, अतः अल्पकालिक निवेश में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सम्मिलित होते हैं।

#### (बी) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताओं का वर्ष के अन्त में तुलन-पत्र पर नोट के द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है। वर्ष के अन्त तुलन-पत्र में वर्णित स्थिति के अनुसार उन देयताएं का प्रावधान किया जाता है जिनका वर्ष की समाप्ति के पश्चांत कार्यान्वित होने की संभावना है।

- (i) कम्पनी के विरुद्ध मांगे जिन्हें कर्ज स्वीकार नहीं किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों (रीको, कस्टम, गृह कर, यू.डी. टैक्स आदि) द्वारा 467.19 लाख रुपये (गत वर्ष में 355.25 लाख रुपये) की मांग की है जो शास्ति / वसूलियां / ब्याज इत्यादि से सम्बन्धित है। यह शास्तियां/वसूलियां/ ब्याज/आर्थिक किराया/इत्यादि को अभी तक कर्ज स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर विधिक कार्यवाही लम्बित है।

- (ii) विभिन्न अदालतों में वाद/मध्यस्था के मामले जो ग्राहकों एवं कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये हैं, की राशि 119.19 लाख रुपये (गत वर्ष 129.19 लाख रु.)
- (iii) मैसर्स साधुराम पटेल एण्ड संस द्वारा निगम के विरुद्ध 3596.96 लाख का दावा दायर किया गया जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वारा 314.69 लाख का अवार्ड पारित किया (जिसमें 31.03.2012 तक के ब्यज की राशि रु. 108.52 लाख सम्मिलित है)।

निगम के विरुद्ध साधुराम पटेल एण्ड संस (तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर ठेकदार) द्वारा रुपये 3596.96 लाख का दावा दायर किया जिसके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (सिटी) द्वारा निगम के विरुद्ध 314.69 लाख (मय ब्याज रु. 108.52 लाख) का क्लेम पारित किया गया। निगम ने जिला मजिस्ट्रेट जयपुर सिटी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय ने एकजीक्यूशन प्रोसिडिंग पर स्थगन आदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.9.2008 को अंतरिम राहत आदेश पारित किये कि अपीलार्थी को 2,02,22,423/- रुपये आरबीट्रेटर द्वारा जारी अधिनिर्णय में पारित राशि जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समर्थन किया है, को प्रतिवादी संख्या-1 के हक में जमा करानी होगी इस राशि में से 1,12,51,827/- रुपये सिंडीकेट बैंक को जमा कराने होंगे। इस आशय के सामान्यतः वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर की अगर यह अपील स्वीकार की जाती है तो बैंक उक्त राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज की दर से वापिस लौटायेंगे। शेष राशि अपील लम्बित रहने तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी जायेगी। उक्त आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा रुपये 2,02,22,423 जमा किये जा चुके हैं तथा इसे कोर्ट आदेश के विरुद्ध अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। जहां तक अवार्ड में दिये गये ब्याज का प्रश्न है, वह अपील लम्बित रहने तक स्थगित रहेगा। अतः इसके विरुद्ध कोई दायित्व नहीं दिखाया गया है।

- (iv) मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिंडिकेट (निगम के तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर) मुम्बई द्वारा 522.82 लाख रुपये का दावा दायर किया गया है (100 लाख रु. का हर्जाना एवं क्षतिपूर्ति सम्मिलित है)

मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिंडिकेट, मुम्बई द्वारा 522.82 लाख रुपये का दावा (जिसमें 100.00 लाख रुपये क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा सम्मिलित) मय ब्याज कम्पनी के विरुद्ध दायर किया हैं। आरबीट्रेटर द्वारा दिनांक 24.04.2019 को आदेश पारित किया है जिसमें 4,18,110/- रुपये मांगकर्ता को एवं 58,39,018/- रुपये आर एस आई सी को देय है। आदेश पर वादी द्वारा उच्च स्तर पर आपत्ति/चुनौती दी गई है।

- (v) ऐसे ठेकों का अनुमानित मूल्य जिनका पूंजीगत लेखों में से क्रियान्वयन होना है एवं जिसका प्रावधान इस वर्ष किया जाना है : राशि 36.95 लाख रु. (गत वर्ष भी शून्य)
- (vi) आयकर निर्धारण में अस्वीकृत/अतिरिक्त देय आंकलन के संदर्भ में कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है। विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में कोई विशेष दायित्व नहीं बनता है।
- (vii) विक्रय कर, वेट/सीएसटी की मांग राशि 296.68 लाख रु. (गत वर्ष की राशि 296.68 लाख) की मांग के लिए कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के यहां सम्बन्धित दस्तावेज/सूचनाएं मांग को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

- (viii) मैसर्स मैक्स लॉजिस्टिक प्रा.लि. द्वारा रु. 400.46 लाख (रु. 100 लाख व्यापार में हानि सम्मिलित) का दावा दायर किया गया है। प्रकरण आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।

### गारंटी

- (i) निगम के पास दिनांक 31 मार्च, 2021 को रु. 5.69 लाख (गत वर्ष शून्य) मौजूदा बैंक/कारपोरेट गारंटी बकाया है।

- सी (ए) निगम द्वारा आयातित कच्चा/माल, पूर्यों व उपकरण का मूल्य. सी.आई.एफ. के आधार पर किया गया है।

वर्तमान वर्ष — शून्य

गत वर्ष — शून्य

- (बी) आयातित/स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग किए गए घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

|                                                        | कच्चा माल                   |         | पूर्यों एवं स्टोर उपकरण |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| वर्तमान वर्ष:                                          | आयातित                      | स्वदेशी | आयातित                  | स्वदेशी |
| कुल उपयोग                                              | शून्य                       | शून्य   | शून्य                   | शून्य   |
| प्रतिशत                                                | शून्य                       | शून्य   | शून्य                   | शून्य   |
| गत वर्ष:                                               |                             |         |                         |         |
| कुल उपयोग                                              | शून्य                       | शून्य   | शून्य                   | शून्य   |
| प्रतिशत                                                | शून्य                       | शून्य   | शून्य                   | शून्य   |
| (सी) सामान के विक्रय द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की गई | वर्तमान वर्ष—1.27 लाख रुपये |         | गत वर्ष—7.44 लाख रुपये  |         |
| (डी) विदेशी मुद्रा में व्यय वर्तमान                    | वर्ष—शून्य                  |         | गत वर्ष—शून्य           |         |

- (डी) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक है, फिर से व्यवस्थित/एकत्रित किया गया है। लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (ई) अंकित राशि निकटतम रुपये में की गई है।
- (एफ) वर्ष के दौरान मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत देय तिथि से आपूर्तिकर्त्ताओं को 45 दिवस के अधिक देरी से भुगतान किये जाने पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान वर्ष 2020-21 नहीं किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट 'बी' पर उपलब्ध है।
- (जी) इकाइयों के संदर्भ में ऐसे प्रकरण है जिन्हें कम्पनी द्वारा 31.03.2021 तक 30 दिवस से अधिक होने पर भी 100000/- रुपये की देनदारी बकाया है। विवरण परिशिष्ट— 'सी' पर उपलब्ध है।



- (एच) आईसीडी भीलवाड़ा और भिवाड़ी में आयात और निर्यात का संचालन वर्ष 2012-13 (10.04.2012 से) अस्थाई रूप से बंद रहा। इसी तरह राजस्थली मुम्बई, डब्ल्यू एस पी का वर्ष 2020-21 के दौरान अस्थाई रूप से बंद रहे।
- (आई) कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान प्रबन्धन ने राजस्थली पर और एसीसी जयपुर में वास्तविक बिक्री/राजस्व के आधार पर कामर्शियल और राजस्व हिस्सेदारी को चार्ज करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त अवधि के लिए इन इकाईयों का लाईसेंस शुल्क हैण्डलिंग चार्ज और एमजीआर माफ किया है। इसी प्रकार प्रबन्धन द्वारा आईसीडी जयपुर एवं आई.सी.डी. जोधपुर के लिए अप्रैल से सितम्बर 2020 की अवधि के दौरान एमजीआर माफ करने और वास्तविक बिक्री/राजस्व के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी को चार्ज करने का निर्णय लिया।

डॉ. आकाश आल्हा  
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन  
कम्पनी सचिव

डॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डीआईएन 07685462

अर्चना सिंह  
निदेशक  
डीआईएन 06785834

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएकेजी9191

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 24.11.2021



|                                                                                                 | 31 मार्च 2021 को  |                             | 31 मार्च 2020 को           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| नोट -1' अंश पूंजी                                                                               |                   | रु.                         |                            | रु.                         |
| <b>अधिकृत</b>                                                                                   |                   |                             |                            |                             |
| 8,50,000 समता अंश प्रत्येक<br>100 रुपये का निर्गमित                                             |                   | 850,00,000                  |                            | 850,00,000                  |
|                                                                                                 |                   | 850,00,000                  |                            | 850,00,000                  |
| <b>निर्गमन एवं अभिदत्त एवं<br/>परिदत्त</b>                                                      |                   | <b>31 मार्च 2021<br/>को</b> |                            | <b>31 मार्च 2020<br/>को</b> |
| समता अंश प्रत्येक 100/- रुपये<br>696403 समता अंश प्रत्येक<br>100/- रुपये अभिदत्त एवं<br>परिदत्त |                   | 696,40,300                  |                            | 696,40,300                  |
|                                                                                                 |                   | 696,40,300                  |                            | 696,40,300                  |
| <b>5 प्रतिशत से अधिक<br/>अंशधारकों की सूची</b>                                                  |                   | <b>31 मार्च 2021 को</b>     |                            | <b>31 मार्च 2020 को</b>     |
| <b>अंशधारकों का नाम</b>                                                                         | <b>अंश संख्या</b> | <b>रखे हुए %</b>            | <b>अंशों की<br/>संख्या</b> | <b>रखे हुए %</b>            |
| महामहिम राज्यपाल राजस्थान                                                                       | 664,387           | 95.40                       | 664,387                    | 95.40                       |

|                                             |  |                         |  |                         |
|---------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>बकाया अंशों का नम्बर<br/>किया गया</b>    |  | <b>31 मार्च 2021 को</b> |  | <b>31 मार्च 2020 को</b> |
| <b>विवरण</b>                                |  | <b>अंशों की संख्या</b>  |  | <b>अंशों की संख्या</b>  |
| वर्ष के प्रारम्भ में समता अंश               |  | 6,96,403                |  | 6,96,403                |
| जोड़िये : वर्ष के दौरान अंशों<br>का निर्गमन |  | —                       |  | —                       |
| वर्ष के अंत में समता अंश                    |  | 6,96,403                |  | 6,96,403                |

कम्पनी के पास एकल समता अंश प्रत्येक 100/- रु. का है। प्रत्येक अंशधारक अंश के अनुरूप वोट कर सकता है। कम्पनी की तरलता की स्थिति में समता शेष शेयर धारकों को समस्त अनुपातिक राशि बंटवारे के बाद बची हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्षमता शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित क्षमता शेयर्स के अनुपात में वितरण होगा।

राशि रु. में

| नोट— '2' संचय एवं अतिरेक                   |               | 31 मार्च<br>2021 को |               | 31 मार्च<br>2020 को |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| पूंजी सम्पत्तियां (राज्य से अनुदान)        |               |                     |               |                     |
| (ए) अचल सम्पत्तियों के विक्रय से           | 4,367,245     |                     | 4,367,245     |                     |
| गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार                |               |                     |               |                     |
| जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान       |               | 4,367,245           |               | 4,367,245           |
| (बी) परिक्रामी निधि                        |               |                     |               |                     |
| गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार                | 27,85,4,000   |                     | 27,85,4,000   |                     |
| जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान       |               | 27,85,4,000         |               | 27,85,4,000         |
| (सी) आस्थितिगत अनुदान                      |               |                     |               |                     |
| (अविग्रहित सम्पत्तियों के लिए)             |               |                     |               |                     |
| गत वर्ष के चिट्ठे के अनुसार                | 37,927,879    |                     | 82,925,500    |                     |
| जोड़िये (+) वर्ष के दौरान (टिप्पणी: 2 (ए)) | —             |                     | 2,850,000     |                     |
|                                            | 37,927,879    |                     | 85,775,500    |                     |
| घटाइये: ऋण शोधन परिसम्पत्तियों पर          | 2,421,437     |                     | 2,252,000     |                     |
| घटाइये : अनुदान से बनाई गई                 |               |                     |               |                     |
| परिसम्पत्तियां (टिप्पणी : 2 (बी))          | —             | 35,506,442          | 45,595,621    | 37,927,879          |
| <b>लाभ हानि खाते में अतिरेक</b>            |               |                     |               |                     |
| गत वर्ष चिट्ठे के अनुसार                   | (251,225,643) |                     | (254,781,570) |                     |
| जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान       | 1,230,393     | (249,995,250)       | 3,555,927     | (251,225,643)       |
|                                            |               | (182,267,563)       |               | (181,076,519)       |

- 2 (ए) वर्ष 2019—20 के दौरान आर एस आई सी द्वारा टी आई ई एस के अन्तर्गत मिलने वाले अनुकूल अनुदान (50 : 50) में से 57.00 लाख रुपये की एक्सरे बैगेंज एवं ई टी डी मशीन क्रय की है। इसलिए 28.50 लाख रुपये पूंजी आरक्षित में दर्शाये गये हैं।
- 2 (बी) आई सी डी बीकानेर की स्थापना के लिए वर्ष 2008—09 की अवधि में, ए एस आई डी ई योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से 5,04,78,630 /—रुपये की भूमि क्रय की गई एवं उसके लिए पूंजी पुनर्वित्त बनाया गया था। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 19.02.2015 द्वारा इस परियोजना को रद्द कर दिया गया है। प्रबन्धन ने सरकार से भूमि की लागत वसूलने का प्रयत्न किया परन्तु राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.12.2019 को भूमि की लागत लौटाने से इंकार कर दिया है। अतः 01.04.2019 को पूंजी आरक्षित की राशि 4,55,95,621 /— रुपये (5,04,78,630 — 48,83,009 वर्ष 2018—19 तक चार्ज किये गये) को अनुदान से सृजित की गई सम्पत्ति में कटौती के रूप में दिखाया गया है।

| नोट— '3' अचल दायित्व |                                                                                                                                                                                   |                              | 31 मार्च 2021<br>को         |                              | 31 मार्च 2020<br>को         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3.1                  | दीर्घावधि ऋण (अप्रत्याभूति)<br>अप्रत्याभूति ऋण<br>अन्यत से अवधि ऋण<br>ए) वीआरएस स्कीम के लिए<br>(2009-10) (नोट सं. 3 (ए))<br>बी) वीआरएस स्कीम के लिए<br>(2003-04) (नोट सं. 3 (ए)) | 62,415,360<br><br>19,687,544 | <br><br>—                   | 60,678,057<br><br>19,154,348 | <br><br>—                   |
|                      |                                                                                                                                                                                   |                              | 82,102,904                  |                              | 79,832,405                  |
| 3.2                  | अन्य दीर्घावधि देयताएं (असुरक्षित)<br>प्रतिभूति जमा<br>स्टॉफ से प्रतिभूति जमा                                                                                                     |                              | 45,222,753<br><br>67,742    |                              | 42,162,831<br><br>67,242    |
|                      |                                                                                                                                                                                   |                              | 45,290,495                  |                              | 42,230,073                  |
| 3.3                  | दीर्घावधि प्रावधान<br>स्टेट रेन्यूवल फण्ड (नोट सं. 3 (बी))<br>कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान<br>अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान                                                         |                              | 8,592,000<br><br>11,084,691 |                              | 8,592,000<br><br>14,611,409 |
|                      | <b>कुल</b>                                                                                                                                                                        |                              | <b>19,676,691</b>           |                              | <b>23,203,409</b>           |

- 3 (ए) 26.07.2018 को आयोजित स्टेट रेन्यूवल फण्ड (एसआरएफ) के प्रबंधन की बैठक के आधार पर, आरएसआईसी के प्रबंधन ने 566.77 लाख (रु. 433.44 लाख + रु. 133.33 लाख) रुपये ऋण को पुनर्वर्गीकृत किया है। अतः वर्ष 2020-21 तक एस आर एफ ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज की राशि 2,54,25,904 /— रुपये दीर्घकालीन उधार के रूप में एसआरएफ को देय। प्रबंधन का मत है प्रतिवेदन दिनांक से 12 माह के भीतर आरएसआईसी द्वारा यह राशि प्रतिदेय नहीं होगी।
- 3 (बी) 26.07.2018 और 29.03.2019 को आयोजित राज्य नवीकरण निधि (एसआरएफ) के प्रबंधन की बैठक के आधार पर आरएसआईसी के प्रबंधन का यह विचार है कि प्रतिवेदन दिनांक से 12 महीने के भीतर बकाया राशि प्रतिदेय नहीं होगी। अतः इसे दीर्घकालिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान वर्ष के योगदान को अल्पाकालिक प्रावधानों के रूप में माना गया है।

| नोट— '4' चल दायित्व |                                                      |            | 31 मार्च 2021<br>को |            | 31 मार्च 2020<br>को |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
|                     |                                                      |            | रु.                 |            | रु.                 |
| 4.1                 | लघु अवधि ऋण (अप्रत्याभूत)                            |            |                     |            |                     |
| 4.2                 | व्यापारिक देयताएं (नोट सं. 4(सी))                    |            |                     |            |                     |
|                     | लेनदारों द्वारा माल की आपूर्ति                       |            | 21,39,316           |            | 16,53,095           |
|                     | एमएसएमई को देय                                       |            | 3,62,76,180         |            | 3,42,50,748         |
|                     | अन्य को देय                                          |            | 85,238,347          |            | 9,17,66,518         |
|                     |                                                      |            | 12,36,53,843        |            | 127,670,361         |
| 4.3                 | अन्य चालू दायित्व                                    |            |                     |            |                     |
|                     | एसआरएफ ऋण पर ब्याज अर्जित हुआ, लेकिन देय नहीं        | 482,299    |                     | 485,718    |                     |
|                     | अर्जित ब्याज एवं देय (नोट सं. 4 (ए))                 | 399,854    |                     | 399,854    |                     |
|                     | अनुदान (वापसी योग्य)                                 | 11,545,246 |                     | 12,176,246 |                     |
|                     | कर्मचारियों को पीएफ देय                              | 385,000    |                     | 481,713    |                     |
|                     | वेट/सीएसटी देय                                       | 65,994     |                     | 65,994     |                     |
|                     | टीडीएस देय                                           | 1,107,357  |                     | 41,049     |                     |
|                     | एलआईसी देय                                           | 11,525     |                     | 13,732     |                     |
|                     | सर्विस टैक्स देय                                     | 46,258     |                     | 46,258     |                     |
|                     | जीएसटी पर टीडीएस                                     | 802,051    |                     | 384,746    |                     |
|                     | अन्य वैधानिक देय बकाया                               | 690,851    |                     | 570,912    |                     |
|                     | देय ग्रेच्यूटी (नोट सं. 4 (बी))                      | 1,581,662  |                     | 1,272,200  |                     |
|                     | मांग/आदेश के विरुद्ध अग्रिम                          | 42,843,303 |                     | 31,525,992 |                     |
|                     | अज्ञात प्राप्तियां                                   | 1,105,888  |                     | 1,027,519  |                     |
|                     | निलम्बय                                              | 91         | 61,067,379          | 91         | 48,492,024          |
|                     | दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट सं. -4 (डी)) |            |                     |            |                     |
|                     | राजस्थान सरकार से                                    |            |                     |            |                     |
|                     | राजस्थली नई दिल्ली के लिए (नोट सं. 4 (डी))           | 7,500,000  | 7,500,000           | 7,500,000  | 7,500,000           |
|                     |                                                      | —          | 68,567,379          | —          | 55,992,024          |

- 4 (ए) रुपये 3,99,854 /— पुरानी ब्याज देयता से संबंधित है और असुरक्षित ऋण पर बकाया है जिसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
- 4 (बी) रुपये 15,73,925 /— सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों को दी जाने वाली गेच्युटी से संबंधित।
- 4 (सी) विविध ऋणदाताओं / बकाया देयता के शेष पुष्टीकरण एवं मिलान पर आधारित है इसमें समाहित है। कुछ पुराने / असंबंधित के समय का लम्बित / पुष्टीकरण / मिलान / निर्णय हेतु बकाया है जिनका समायोजन अगर कोई है अंतिम पुष्टीकरण / प्रमाणीकरण / निर्णय के समय किया जावेगा। कच्चा माल / आई.सी.डी. जोधपुर के लेनदार की ऋणियों के बकाया की मुख्य खातों से मिलान से नहीं किया गया है इसके अंतर को संदिग्ध लेखों में दर्शाया गया है।
- 4 (डी) असुरक्षित अवधि ऋण रुपये 75,00,000 /— लाख बिना ब्याज (रुपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2011 और रुपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2012 व 25,00,000 दिनांक 26.03.2013 को भुगतान योग्य)

| 4.4 | लघु अवधि प्रावधान                        | 31 मार्च 2021 को |             | 31 मार्च 2020 को |             |
|-----|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     |                                          | रु.              |             | रु.              |             |
|     | कर्मचारी कल्याण का प्रावधान              |                  |             |                  |             |
|     | बोनस                                     | 25,703           |             | 25,703           |             |
|     | कर्मचारियों का पारिश्रमिक                | 5,026,019        |             | 5,494,874        |             |
|     | गेच्युटी का प्रावधान (नोट सं.-4 (ई))     | 23,112,048       |             | 29,205,473       |             |
|     | अवकाश नगदीकरण के लिए प्रावधान            | 4,847,912        | 33,011,682  | 4,850,260        | 39,576,310  |
|     | किराया (नोट सं. 4 (एफ))                  | 4,999,613        |             | 5,072,403        |             |
|     | अंकेक्षण शुल्क                           | 133,500          |             | 78,500           |             |
|     | बिजली व पानी                             | 454,136          |             | 328,072          |             |
|     | दूरभाष                                   | 27,022           |             | 47,116           |             |
|     | आयकर का प्रावधान (नोट सं. 4 जी)          | 4,001,369        |             | 4,001,369        |             |
|     | कस्टम कोस्ट वसूली (नोट सं. 4 (एच))       | 55,243,825       |             | 56,993,825       |             |
|     | आईसीडी ऑपरेशन व्यय (नोट सं. 4 (आई))      | 39,950,350       |             | 24,752,729       |             |
|     | यूडी कर एवं लीज किराया (नोट सं. 4 (जे))  | 9,571,145        |             | 9,126,291        |             |
|     | यूडी कर एवं लीज किराया ब्याज             | 9,354,686        |             | 8,459,475        |             |
|     | आर्थिक किराया                            | 2,641,984        |             | 2,345,490        |             |
|     | नवीनीकरण व्यय                            | 8,548,685        |             | 6,295,698        |             |
|     | हैण्डलिंग ट्रांसपोर्टेशन व्यय कोल के लिए | 1,023,809        |             | 1,023,809        |             |
|     | सीएचओ को प्रोत्साहन                      | 89,681           |             | 190,738          |             |
|     | राज्य नवीनीकरण फण्ड (नोट सं. 4 (के))     | 500,000          |             | 500,000          |             |
|     | विज्ञापन एवं प्रचार                      | 134,098          |             | 292,757          |             |
|     | प्रदर्शनी व्यय                           | 260,597          |             | 260,597          |             |
|     | क्रय के लिए अन्य. देयताएं                | 41,050           |             | 215,584          |             |
|     | अन्य प्रावधान                            | 3,000,019        | 139,975,569 | 2,819,338        | 122,803,791 |
|     |                                          |                  | 172,987,251 |                  | 162,380,101 |

- 4 (ई) आरएसआईसी कर्मचारियों को पूर्ण ग्रेच्यूटी भुगतान के लिए एलआईसी जिम्मेदार होगी। एलआईसी ने पिछली सेवाओं के लिए ग्रेच्यूटी की 306.30 लाख की मांग रखी जिसमें दिनांक 31.03.2021 को निगम फण्ड मूल्य 75.18 लाख रुपये है शेष राशि के मुकाबले 231.12 लाख रु. का प्रावधान किया गया।
- 4 (एफ) चालू वर्ष के किराये का प्रावधान 68,860 /— एवं गत वर्षों का शेष राशि 50,29.923 /— है।
- 4 (जी) चालू देयताओं के मद में राशि 40.01 लाख दर्शायी गयी है क्योंकि पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान को मिलान के अन्तर्गत है। अंतिम निपटारे के प्रयत्न किये जा रहे हैं, यदि परिणाम के सिद्धांत पर कोई असर होगा तो अंतिम पुष्टि के समय उस वर्ष के खातों में लेखांकित कर दिया जावेगा। लम्बित मूल्यांकन/अपील संशोधन/संदर्भ के साथ-साथ दावों के लम्बित मामलों के लिए वित्तीय प्रभाव के लिए कर कर्तव्यों और धनवापसी के लिए अतिरिक्त देयता अंतिम निपटारे/निर्णय के समय किया जायेगा।
- 4 (एच) चालू वर्ष की कस्टम लागत की वसूली के लिए प्रावधान शून्य है एवं गत वर्षों का शेष रु. 5,52,43,825 /—
- 4 (आई) चालू वर्ष के आईसीडी/एसीसी परिचालन व्यय के लिए प्रावधान 1,86,84,684 /— एवं शेष गत वर्षों के लिए 2,12,65,666 /—
- 4 (जे) चालू वर्ष में लीज का किराया यूडी टैक्स में शामिल रुपये 4,03,127 /— आईसीडी भिवाड़ी से सम्बद्ध है एवं 15,67,436 /— राजस्थली माल के लिए है। चालू वर्ष के लिए यूडी कर पर ब्याज रुपये 8,95,211 /— आईसीडी भिवाड़ी से सम्बन्धित है।
- 4 (के) स्टेट रिन्यूवल फण्ड के प्रबन्धन की दिनांक 26.07.2018 की बैठक में निर्णय अनुसार आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा चालू वर्ष में कोई अंशदान का प्रावधान नहीं किया गया है।

**दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.**

31 मार्च, 2021 को सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण

मूर्तं सम्पत्तियां

पृष्ठ-5

| विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कुल सम्पत्तियां |         |               |                      | मूल्यह्रास    |             |        |         |           |               | शुद्ध कुल सम्पत्तियां |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------|---------|-----------|---------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.03.2020 तक   | वृद्धि  | विक्रय/ कटौती | 31.03.2021 की स्थिति | 31.03.2020 तक | वर्ष के लिए | वृद्धि | कटौती   | कुल       | 31.03.2021 को | 31.03.2020 को         |  |
| भूमि (पट्टे पर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62911182        |         |               | 62911182             | 14295305      | 635465      |        |         | 14930770  | 47980412      | 48615877              |  |
| भूमि (पूर्ण स्वामित्व)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2397083         |         |               | 2397083              | 0             |             |        |         | 0         | 2397083       | 2397083               |  |
| भवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161348912       |         |               | 161348912            | 76702791      | 4122264     |        |         | 80825055  | 80523857      | 84646121              |  |
| संयंत्र एवं उपकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4674216         |         |               | 4674216              | 4451784       | 40261       |        |         | 4492045   | 182171        | 222432                |  |
| पंखे एवं अन्य सामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5263388         |         |               | 5263388              | 4911698       | 91019       |        |         | 5002717   | 260671        | 351690                |  |
| अन्य कार्यालय का सामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36496234        | 205422  | 15690         | 36685966             | 31371283      | 2379750     |        | 15647   | 33735386  | 2950580       | 5124951               |  |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16584722        | 6000    |               | 16590722             | 16010150      | 149009      |        |         | 16159159  | 431563        | 574572                |  |
| वाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2103152         |         |               | 2103152              | 1636700       | 145668      |        |         | 1782368   | 320784        | 466452                |  |
| कुल योग (ए)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291778889       | 211422  | 15690         | 291974621            | 149379711     | 7563436     |        | 15647   | 156927500 | 135047121     | 142399178             |  |
| कार्य प्रगति पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |               | 0                    | 0             |             |        |         | 0         | 0             | 0                     |  |
| पूर्व के वर्ष की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336521193       | 5997671 | 50739975      | 291778889            | 146987688     | 7517848     |        | 5125825 | 149379711 | 142399178     | 189533505             |  |
| भूमि एवं भवन की राशि 1435.93 लाख रुपये (गत वर्ष 1435.93 लाख रुपये) को लेखांकन पट्टा विलेख निगम के हित में निष्पादन होने के अधीन किया गया है क्योंकि इसका उपयोग एवं कब्जा कम्पनी का है। भूमि की कीमत का आंकलन भवन की कीमत में दर्शाई गई राशि 0.61 लाख रुपये में से नहीं किया जा सका क्योंकि इसे भवन में दर्शाया गया है। |                 |         |               |                      |               |             |        |         |           |               |                       |  |



| मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति का विवरण                              |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| विवरण                                                       | 2020—21        | 2019—20        |
| मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति जो लाभ एवं हानि को लेखांकित किया गया  | 5142000        | 5265848        |
| मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति जो पूंजी आरक्षित को लेखांकित किया गया | 2421436        | 2252000        |
| <b>कुल राशि</b>                                             | <b>7563436</b> | <b>7517848</b> |

| अचल सम्पत्तियां     |                                                                                                          | रु.              | रु.              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| नोट— 6 अचल विनियोजन |                                                                                                          | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|                     | अंश में विनियोजन (नॉन ट्रेड)                                                                             |                  |                  |
| (ए)                 | अखिल भारतीय हाथकर्धा वस्त्र सहकारी समिति लि. का एक इक्विटी शेयर (पूर्णतया परिदत्त.) 1000/— रु. का        | 1,000            | 1,000            |
| (बी)                | ओबेराय हॉल्लिंग प्रा.लि. कलकत्ता के 18000 "बी" इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/— रु. का                         | 1,80,000         | 1,80,000         |
| (सी)                | 100 इक्विटी शेयर्स (पूर्णतया परिदत्त) 1000/— रुपये का राजस्थान कन्सलटेन्सी आर्गेनाइजेशन लि. जयपुर को     | 1,00,000         | 1,00,000         |
| (डी)                | 500 इक्विटी शेयर्स प्रत्येक 1000/— का (पूर्णतया परिदत्त) राजस्थान का स्टेट हाथकर्धा विकास निगम लि. जयपुर | 5,00,000         | 5,00,000         |
|                     | घटाईये : मूल्यहास का प्रावधान                                                                            | (5,00,000)       | (5,00,000)       |
| (ई)                 | 514 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/— रु. का इंडीयन एक्सपोजीशन मार्ट लि., ग्रेटर नोयडा, यू.पी.                  | 5,140            | 5,140            |
|                     |                                                                                                          | 286,140          | 286,140          |

- 6 (ए) राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम लि. जयपुर द्वारा रुपये 5.00 लाख का किया निवेश मूल्य में स्थायी कमी के कारण एएस-13 के अनुसार 100 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
- 6 (बी) गैर उद्धत निवेश की कुल राशि 786140/— एवं गत वर्ष 786140/— निवेश में मूल्य की कमी रु. 500000/— एवं गत वर्ष रु. 500000/—

| नोट सं.—7 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम<br>(अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)                                                |           | 31 मार्च<br>2021 को |           | 31 मार्च<br>2020 को |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                       |           | रु.                 |           | रु.                 |
| (ए) पूंजी अग्रिम<br>(अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)<br>पूंजीगत माल के लिए अग्रिम<br>अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल | 4,798,150 | 4,798,150           | 4,148,150 | 4,148,150           |
| (बी) प्रतिभूति राशि जमा<br>(अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)<br>टेलीफोन का जमा                                        | 197,206   |                     | 197,206   |                     |
| विद्युत का जमा                                                                                                        | 1,551,078 |                     | 1,565,766 |                     |
| अन्य, जमा                                                                                                             | 275,600   | 2,023,884           | 275,600   | 2,038,572           |
|                                                                                                                       |           | 6,822,034           |           | 6,186,722           |

- 7 (ए) मैसर्स आर एस आर डी सी सी लिमिटेड और ए वी एल को दी गई अग्रिम राशि 41,48,150 /— रु. पूंजीगत अग्रिम में सम्मिलित है यह राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए दी गई थी, जिसका निगम के खातों से मिलान किया जाना शेष है, उसी के अंतिम निपटारे से अचल सम्पत्तियों एवं अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव आयेगा एवं अंतिम निपटाने पश्चात अचल सम्पत्तियों एवं अन्य संबंधित खातों को डेबिट / क्रेडिट किया जायेगा। वर्तमान वर्ष में रीको को आईसीडी भीलवाड़ा के निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम राशि 6,50,000 /— रु. दी गई।

| नोट सं.—8 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2020 को |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | रु.              | रु.              |
| अन्य                                  | —                | —                |

| नोट सं.—9 चालू सम्पत्तियां                                                              |           | 31 मार्च<br>2021 को |           | 31 मार्च<br>2020 को |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                         |           | रु.                 |           | रु.                 |
| 9.1 वस्तु सूची<br>(जैसा कि प्रबन्ध द्वारा मूल्यांकित<br>एवं प्रमाणित किया)<br>कच्चा माल | —         |                     | 78,152    |                     |
| कार्य प्रगति पर                                                                         | —         |                     | 66,622    |                     |
| तैयार माल                                                                               | 2,498,792 |                     | 3,283,546 |                     |
| भंडार और उपभोग्य                                                                        | 212,919   | 2,711,711           | 109,787   | 3,538,107           |
|                                                                                         |           | 2,711,711           |           | 3,538,107           |

- 9 (ए) रुपये 0.22 लाख का माल व्यापार संकन्ध में सम्मिलित है। (गत वर्ष रुपये 0.22 लाख) जो अन्य के पास पड़ा है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह पुष्टि के अधीन है।
- 9 (बी) अन्य के पास पड़ा माल मूल्य 0.20 लाख (गत वर्ष 0.20 लाख) वर्ष 2001-02 के दौरान एवं उसके पश्चात हस्तशिल्पियों को निर्गमित कपड़ा छपाई हेतु दिया गया जो समायोजन के लिए लम्बित है।
- 9 (सी) हाथीदांत के विक्रय को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। एएस-2 के अन्तर्गत हाथीदांत का तैयार सामान राशि 54943 /— को स्टॉक में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 9 (डी) स्टॉक में पाई गई कमी जो जांच के अधीन है। राशि रुपये 2,24,301 /— (गत वर्ष 2,24,301 /—) को तैयार माल में शामिल नहीं किया गया है।

| 9.2 | व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित)                                       | 31 मार्च 2021 को |           | 31 मार्च 2020 को |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|     |                                                                       | रु.              |           | रु.              |           |
|     | (असुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया जब तक अन्य था वर्णित नहीं किया जायें) |                  |           |                  |           |
|     | अच्छा समझा जाने वाला                                                  |                  |           |                  |           |
|     | 6 महीने से कम की अवधि से बकाया                                        |                  | 2,858,930 |                  | 6,308,018 |
|     | 6 महीने से अधिक की अवधि से बकाया                                      |                  | 3,540,465 |                  | 1,612,560 |
|     | अन्य :-                                                               |                  |           |                  |           |
|     | संदिग्ध समझा गया                                                      | 23,136,585       |           | 231,36,585       |           |
|     | घटाईये : प्रावधान                                                     | 23,136,585       |           | 231,36,585       |           |
|     | अन्य (हायर पर्चेज ऋणी)                                                | 70,673           |           | 70,673           |           |
|     | घटाईये : प्रावधान                                                     | 70,673           |           | 70,673           |           |
|     |                                                                       |                  | 6,399,395 |                  | 7,920,578 |

- 9 (ई) व्यापार प्राप्तियां पुष्टि और मिलान के अधीन है। इनमें कुछ पुराने/असंदर्भित शेष शामिल हैं जिनकी पुष्टि,मिलान/निपटारा लम्बित है। समायोजन अगर कोई हुआ तो उसे अंतिम मिलान/पुष्टि/निपटाने के समय किया जावेगा। कच्चा माल एवं आई.सी.डी. जोधपुर के लेनदारों का शेष का मिलान खातों के साथ होना शेष है।
- 9 (एफ) किरायेदार के पास लगी किराया खरीद योजना के तहत आपूर्ति की गई मशीनरी के मूल्य को स्टॉप में दर्शाया नहीं गया है हालांकि 70,673 /— रुपये का प्रावधान संदिग्ध व्यय में किया गया है।
- 9 (जी) निदेशकों और उनके संबंधित पक्षों से कोई ऋण देय नहीं है।

| 9.3 |                                                                                                                                      | 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |             | 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|     | <b>नगद और नगद के समकक्ष</b>                                                                                                          |                                |             |                                |             |
|     | हस्तगत रोकड़ (प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)                                                                                              | 206,644                        |             | 120,588                        |             |
|     | बैंक शेष                                                                                                                             | 67,110,893                     |             | 39,214,283                     |             |
|     | (बैंक सामंजस्य के अधीन)                                                                                                              |                                | 67,317,534  |                                | 39,334,871  |
|     | राजकीय पीडी खाता:                                                                                                                    |                                |             |                                |             |
|     | ए) ब्याज विधि                                                                                                                        | 4,313,977                      |             | 4,307,397                      |             |
|     | बी) ब्याज विधि योग्य नहीं                                                                                                            | 188,000                        | 4,501,977   | 188,000                        | 4,495,397   |
|     | 90 दिनों तक की एफडीआर                                                                                                                | 24,208,296                     |             | 40,113,089                     |             |
|     | 90 दिनों से अधिक की एफडीआर                                                                                                           | 78,536,165                     |             | 69,761,898                     |             |
|     | 12 महीने से अधिक की एफडीआर                                                                                                           | 38,75,346                      |             | 398,256                        |             |
|     | एफडीआर पर जमा ब्याज                                                                                                                  | 1,435,915                      | 108,055,722 | 1,370,837                      | 111,644,078 |
|     | बैंक में जमा राशि जिसमें प्रतिभूति राशि विक्रेताओं द्वारा जमा की गई एवं लम्बित अपील के विरुद्ध जमा करवाई गई अग्रिम राशि सम्मिलित है। |                                | 179,875,236 |                                | 155,474,346 |

| 9.4 |                                                                                        | 31 मार्च 2021 को |            | 31 मार्च 2020 को |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|     | <b>अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम</b>                                                         |                  |            |                  |            |
|     | (असुरक्षित, अच्छा माने जाने वाले जब तक अन्यथा वर्णित न हो)                             |                  | 45,736,904 |                  | 46,824,845 |
|     | (i) अच्छा माना जाने वाला (नोट सं. 9(एच))                                               | 45,736,904       |            | 46,824,845       |            |
|     | (ii) संदेहास्पद                                                                        | 18,159,146       |            | 17,654,885       |            |
|     | घटाईये: प्रावधान                                                                       | 18,159,146       |            | 17,654,885       |            |
|     | पूर्वदत्त व्यय                                                                         | —                | 2,842,682  | —                | 218,654    |
|     | अर्जित आय (नोट नं. 9 (आई))                                                             | —                | 2,631,537  |                  | 1,000      |
|     | शुल्क, और शास्ति विरोध के अन्तर्गत शास्ति की राशि और पीएफसी का ब्याज (नोट सं. 9 (जे))  | 111,647          |            | 327,787          |            |
|     | सेवाकर और जीएसटी और सेस इनपुट क्रेडिट / (विवरणी / मूल्यांकन आदेश के साथ मिलान के अधीन) | 1,037,699        | 1,149,146  | 1,037,699        | 1,365,486  |
|     | लंबित अपीलों के विरुद्ध जमा                                                            |                  |            |                  |            |
|     | बिक्रीकर और वैट                                                                        | 1,287,228        | 1,287,228  | 1,287,228        | 1,287,228  |
|     | एफबीटी लौटाने योग्य                                                                    | —                |            | —                |            |
|     | जीएसटी के दावे पर टीडीएस                                                               | 134,997          |            | 59,300           |            |
|     | आयकर लौटाने योग्य (नोट सं. 9 (के))                                                     | 10,709,263       | 10,844,260 | 10,524,956       | 10,584,256 |
|     |                                                                                        |                  | 64,491,757 |                  | 60,281,469 |

- 9 (एच) अन्य को अग्रिम राशि में साधुराम पटेल एण्ड संस विवाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिला न्यायाधीश, जयपुर के पास जमा की गई राशि रु. 2,02,22,423 /— सम्मिलित है। वाद न्यायालय के अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।
- 9 (आई) अर्जित आय में 24.30 लाख रुपये आईसीडी भिवाड़ी परिसर के जनवरी से मार्च 2021 तक के किराये से आय एवं एसीसी जयपुर के परिचालन से 0.38 लाख रुपये आय सम्मिलित है।
- 9 (जे) भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाए गए शास्ति राशि और ब्याज एवं सेवाकर से संबंधित शुल्क एवं शास्ति/ब्याज से संबंधित है। जिसे विरोध के अन्तर्गत जमा कराया गया। वाद अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।
- 9 (के) आयकर द्वारा लौटाये जानी वाली राशि रुपये 1,07,09,263 /— है जिसका मिलान शेष है।

| 9.5 |                            | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |           | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |           |
|-----|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|     | अन्य चालू सम्पत्तियां      | —                       | —         | —                       | —         |
|     | विचारणीय माल के दावे       | —                       | —         | —                       | —         |
|     | डीसीएचसी के दावे           | 224,077                 |           | 224,077                 |           |
|     | अन्य दावे (नोट सं. 9 (एल)) | 3,793,829               | 4,017,906 | 3,561,537               | 3,785,614 |
|     | संदिग्ध दावे               | 1,500,681               |           | 1,500,681               |           |
|     | निलम्बयन                   | 57,775                  |           | 57,775                  |           |
|     |                            | 1,558,456               |           | 1,558,456               |           |
|     | घटाईये : प्रावधान          | 1,558,456               |           | 1,558,456               |           |
|     |                            |                         | 4,017,906 |                         | 3,785,614 |

- 9 (एल) वर्ष 2016—17 के दौरान आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह के लिए आरएसआईसी द्वारा राजस्थान सरकार से (वर्ष 2014—15 के दौरान प्राप्ती अनुदान रु. 5.96 लाख) अनुदान को व्यय करने के लिए अनुमति चाही है। जिसके लिए अनुमति (स्वीकृति पत्र) भी अपेक्षित है। राज्य पुरस्कार समारोह में वर्ष 2016—17 के दौरान व्यय किये गये रु. 5,95,709 /— लाख को "अन्य-क्लेम" के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जीएसटी का कुल इनपुट क्रेडिट रु. 3189969 /— (4836098 — 1928897+ 282768 आईजीएसटी) को भी क्लेम में दर्शाया गया है। जीएसटी पर टीडीएस रु. 8151 /— वापिस लौटाने योग्य है।

## लाभ एवं हानि खाते पर टिप्पणी

| विवरण                                              | वर्ष 2021 के अन्त में<br>रु. |             | वर्ष 2020 के अन्त में<br>रु. |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <b>नोट सं. 10—</b><br>परिचालन से राजस्व            |                              |             |                              |             |
| उत्पाद की बिक्री                                   | 62,674,314                   |             | 54,265,838                   |             |
| घटाईये : एसएसआई छूट                                | —                            | 62,674,314  | —                            | 54,265,838  |
| सेवाओं की बिक्री                                   |                              |             |                              |             |
| कमीशन एवं लाईसेंस शुल्क                            | 4,102,605                    | —           | 19,919,670                   | —           |
| आईसीडी एवं एसीसी हैंडलिंग शुल्क<br>(नोट सं. 10(ए)) | 222,634,194                  | 226,736,799 | 130,919,917                  | 150,839,587 |
|                                                    |                              | 289,411,113 |                              | 205,105,425 |

- 10 (ए) कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान प्रबन्धन ने राजस्थली पर और एसीसी जयपुर में वास्तविक बिक्री/राजस्व के आधार पर कामर्शियल और राजस्व हिस्सेदारी को चार्ज करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त अवधि के लिए एक इकाई का लाईसेंस शुल्क हैंडलिंग चार्ज और एमजीआर माफ किया है। इस प्रकार प्रबन्धन द्वारा आईसीडी जयपुर एवं आई.सी.डी. जोधपुर के लिए अप्रैल से सितम्बर 2020 की अवधि के दौरान एमजीआर माफ करने और वास्तविक बिक्री/राजस्व के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी को चार्ज करने का निर्णय लिया।

| विवरण                         | वर्ष 2021 के अन्त में<br>रु. |            | वर्ष 2020 के अन्त में<br>रु. |            |
|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| <b>नोट सं. 11 अन्य आय</b>     |                              |            |                              |            |
| गैर ट्रेडिंग निवेश से लाभांश  | 9, 514                       |            | 29,565                       |            |
| किराया आमदनी (नोट सं. 11 (ए)) | 26,875,136                   |            | 20,281,358                   |            |
| ब्याज से आय                   | 7,506,141                    |            | 9,884,283                    |            |
| अन्य आय                       | 1,671,025                    |            | 403,192                      |            |
|                               |                              | 36,061,816 |                              | 30,598,398 |
|                               |                              | 36,061,816 |                              | 30,598,398 |

- 11 (ए) किराये की आय में एसपी कार्यालय, भिवाडी से अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक की अवधि के वसूल करने योग्य रु. 25.45 लाख सम्मिलित हैं।

|                                    | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |        | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |   |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---|
| <b>नोट-12 प्रयुक्त माल की लागत</b> |                         |        |                         |   |
| कच्चा माल                          |                         |        |                         |   |
| प्रारम्भिक स्टॉक                   | 78,152                  |        | 78,152                  |   |
| घटाईये : शेष भंडार                 | —                       | 78,152 | 78,152                  | — |

| नोट-13 व्यापारधीन माल का क्रय                                | 31 मार्च 2021<br>रु. |            | 31 मार्च 2020<br>रु. |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| खरीददारी                                                     | 58,766,716           |            | 46,818,786           |            |
| घटाईये : क्रय वापसी                                          |                      | 58,766,716 |                      | 46,818,786 |
| क्रय (एमएसएमई उत्पाद रु. 561.25 लाख (गत वर्ष रु. 370.24 लाख) |                      | 58,766,716 |                      | 46,818,786 |

| नोट-14 तैयार माल प्रक्रियाधीन माल एवं व्यापारधी माल की सूची में परिवर्तन | 31 मार्च 2021<br>रु. |         | 31 मार्च 2020<br>रु. |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|
| प्रारम्भ स्कन्ध                                                          | 66,622               | —       | 66,622               | —         |
| घटाईये : संवरण स्कन्ध                                                    | —                    |         | 66,622               | —         |
| <b>व्यापारधी माल</b>                                                     |                      |         |                      |           |
| प्रारम्भ स्कान्ध                                                         | 3,283,546            |         | 4,362,712            |           |
| घटाईये : संवरण स्कन्ध                                                    | 2,498,792            |         | 3,283,546            |           |
|                                                                          |                      | 784,754 |                      | 1,079,166 |
| <b>मार्गस्थल माल</b>                                                     |                      |         |                      |           |
| प्रारम्भ स्कन्ध                                                          | —                    |         | —                    |           |
| घटाईये : संवरण स्कन्ध                                                    | —                    | —       | —                    | —         |
|                                                                          |                      | 851,376 |                      | 1,079,166 |

| नोट-15 कर्मचारी लागत            | 31 मार्च 2021<br>रु. |            | 31 मार्च 2020<br>रु. |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| वेतन एवं भत्ते (नोट सं. 15 (ए)) | 33,748,453           |            | 37,558,280           |            |
| ग्रेच्युटी                      | 3,530,462            |            | 1,774,165            |            |
| भविष्य निधि                     | 2,609,860            |            | 3,007,113            |            |
| अन्य लाभांश (नोट सं. 15 (बी))   | 1,133,046            |            | 1,135,153            |            |
|                                 |                      | 41,021,821 |                      | 43,474,711 |

15 (ए) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक को वेतन एवं भत्ते सहित रु. 6,86,825 / — (गत वर्ष प्रबन्ध निदेशक को रु. 18,96,581 / —) का भुगतान किया गया।

15 (बी) अन्य लाभ जिसमें पेंशन अंशदान, एनपीएस का अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण ईडीएलआई रेन्यूवल का प्रिमियम और ग्रेच्युटी पॉलिसी इत्यादि सम्मिलित हैं।



| नोट-16 वित्तीय लागत                  | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |           | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |           |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| बैंक प्रभार                          | 74,902                  |           | 159,676                 |           |
| आईसीडी भिवाडी पर यूडी टैक्स का ब्याज | 895,211                 |           | 846,837                 |           |
| दीर्घावधि ऋण पर ब्याज                | 2,267,080               |           | 2,267,080               |           |
| अन्य पर ब्याज                        | 258                     | 3,237,451 | 336                     | 3,273,929 |
|                                      |                         | 3,237,451 |                         | 3,273,929 |

| नोट-17 अन्य व्यय                                                                                        | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |  | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>विनिर्माण व्यय</b>                                                                                   |                         |  |                         |  |
| विनिर्माण व्यय                                                                                          | —                       |  | —                       |  |
| विक्रय एवं वितरण व्यय                                                                                   |                         |  |                         |  |
| विज्ञापन व्यय                                                                                           | 371,758                 |  | 455,469                 |  |
| पैकिंग और अग्रेषण                                                                                       | 212,874                 |  | 342,212                 |  |
| सीएचए एवं निर्यातक को प्रोत्साहन                                                                        | 25,316                  |  | 1,623,029               |  |
| छूट                                                                                                     | —                       |  | 372,847                 |  |
| अन्य व्यय                                                                                               | 114,500                 |  | 21,340                  |  |
| <b>अन्य व्यय</b>                                                                                        |                         |  |                         |  |
| सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्को की वसूली के लिए भुगतान किये गये रु. 109.47 लाख (गत वर्ष रु. 108.94 लाख) | 195,693,384             |  | 107,205,267             |  |
| आईसीडी परिचालन व्यय में सम्मिलित                                                                        |                         |  |                         |  |
| दरें एवं कर                                                                                             | 2,699,209               |  | 2,483,587               |  |
| विद्युत एवं जल                                                                                          | 3,950,093               |  | 4,216,595               |  |
| आरओसी फाईलिंग शुल्क                                                                                     | 15,800                  |  | 22,700                  |  |
| सदस्यता शुल्क                                                                                           | —                       |  | 3,540                   |  |
| कार्यालय व्यय                                                                                           | 2,250,237               |  | 2,216,676               |  |
| राज्य, नवीनीकरण कोष अंशदान                                                                              | —                       |  | —                       |  |
| यात्रा एवं वाहन व्यय (नोट सं. 17(ए))                                                                    | 191,517                 |  | 479,879                 |  |
| बीमा                                                                                                    | 173,406                 |  | 274,765                 |  |
| प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं पोस्टेज                                                                         | 296,380                 |  | 193,467                 |  |
| किराया                                                                                                  | 2,184,393               |  | 1,319,456               |  |
| मरम्मत एवं रखरखाव                                                                                       | 2,148,806               |  | 1,551,443               |  |
| टेलीफोन एवं ट्रंककॉल                                                                                    | 474,603                 |  | 476,596                 |  |
| चौकीदारी व्यय                                                                                           | 2,845,177               |  | 2,937,518               |  |
| विधि एवं सलाहकार शुल्क                                                                                  | 942,509                 |  | 2,353,240               |  |
| वाहन व्यय                                                                                               | 1,684,798               |  | 1,693,844               |  |
| आर्थिक किराया एवं सेवा शुल्क                                                                            | 583,344                 |  | 591,860                 |  |
| अपलिखित (डुबत ऋण, विविध व्यय)                                                                           | 804                     |  | 1,381                   |  |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान                                                                              | 504,260                 |  |                         |  |

|                      |        |             |        |             |
|----------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| जुर्माना             | 33,765 |             | 300    |             |
| अंकेक्षकों को भुगतान |        |             |        |             |
| अंकेक्षक को          | 75,000 |             | 89,000 |             |
| कर संबंधी मदों पर    | 93,000 |             | —      |             |
| अन्य सेवा            | —      | 217,564,933 | —      | 130,926,011 |
|                      |        | 217,564,933 |        | 130,926,011 |

- 17 (ए) प्रबन्ध निदेशक को रु. शून्य अदा किये गये एवं (गत वर्ष अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक को रु. 75,536/— अदा किये गये)।

|                                               |       |            |        |
|-----------------------------------------------|-------|------------|--------|
| नोट—18 अतिरिक्त प्रावधान/खुदरा शेष वापिस लिया | 10467 | पूर्व वर्ष | 188562 |
|-----------------------------------------------|-------|------------|--------|

अतिरिक्त प्रावधान मदों में वापिस ली गई राशि 10467 रुपये (गत वर्ष 188562 रुपये)

| नोट—19 पूर्व अवधि मद              | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |             | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |           |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| पिछले वर्ष से संबंधित व्यय        | 1,287,149               |             | 1,645,125               |           |
| घटाईये : पिछले वर्ष से संबंधित आय | 36,94,638               | (2,407,489) | 53,866                  | 1,591,259 |
|                                   |                         | (2,407,489) |                         | 1,591,259 |

पूर्व अवधि मदों से 2407489/— रुपये की लाभ में कमी आई है। (गत वर्ष का घाटा कम हुआ रु. 1591259/—)। अतः इसे वापिस ले लिया गया है एवं पूर्व वर्षों के व्यय में दर्शाया गया है।

आरएसआईसी प्रबन्धन द्वारा निर्णय लिया गया की इसे आरएसआईसी की अतिरिक्त टर्नओवर छूट (एटीओडी) के रूप में 24.00 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं एस एस आई रिबेट के रूप में 12.49 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2017—18 की आय माना जाये।

| नोट—20 असाधारण आइटम                                     | 31 मार्च 2021 को<br>रु. |       | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ<br>(नोट सं. 20 (ए)) | 1,957                   | 1,957 | 215,768                 | 215,768 |
| जोड़िये : अचल संपत्तियों की प्राप्ति                    | —                       |       | —                       |         |
|                                                         |                         | 1,957 |                         | 215,768 |

- 20 (ए) वर्ष 2020—21 के दौरान डीआरडीसी जयपुर एवं राजस्थली उदयपुर के टीवी अचल सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। प्राप्त राशि 2000/— रुपये एवं हासिल मूल्य 43/—

|    | नोट-21 प्रति अंश आय अर्जन<br>(ईपीएस)                                     | 31 मार्च 2021 को<br>रु. | 31 मार्च 2020 को<br>रु. |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) | कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि के विवरणों के कथनानुसार सामान्य अंशधारकों का | 1,230,393               | 3,555,927               |
| 2) | अंशों की भारित औसत संख्या                                                | 696,403                 | 696,403                 |
| 3) | प्रति अंश बुनियादी और शुद्ध आय                                           | 1.77                    | 5.11                    |
| 4) | अंकित मूल्य प्रति साधारण अंश                                             | 100.00                  | 100.00                  |

## नोट 22 संबंधित पार्टी प्रकटन

ए- कम्पनी के नियंत्रण के साथ संबंधित पार्टी की सूची : शून्य

बी- संबंधित पार्टी का नाम व उससे संबंध जिससे लेनदेन हुआ

| संबंधित पार्टी का नाम          | संबंध                      | राशि     | भुगतान की प्रकृति |
|--------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस    | अध्यक्ष                    |          |                   |
| श्री अम्बरीश कुमार, आईएएस      | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | 686,825  | वेतन एवं भत्ते    |
| श्री आशुतोष एटी पेडनेकर, आईएएस | अध्यक्ष                    | —        |                   |
| डॉ. समित शर्मा, आईएएस          | प्रबन्ध निदेशक             |          |                   |
| डॉ. राजेश शर्मा, आईएएस         | प्रबन्ध निदेशक             |          |                   |
| श्रीमती अर्चना सिंह, आईएएस     | निदेशक                     |          |                   |
| श्री पी. रमेश, आईएएस           | निदेशक                     |          |                   |
| श्री अजय असवाल                 | निदेशक                     |          |                   |
| श्री पी. के. जैन               | कम्पनी सचिव                | 4,81,200 | वेतन एवं भत्ते    |

डॉ. आकाश आल्हा  
मुख्य लेखाधिकारीपी.के. जैन  
कम्पनी सचिवडॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डीआईएन 07685462अर्चना सिंह  
निदेशक  
डीआईएन 06785834

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

स्थान : जयपुर

दिनांक : 24.11.2021

## लेखा स्तर-17 के दिशा सिद्धान्त पर आधारित वृत्त खण्ड : निगम प्रारम्भिक खण्ड

### हस्तशिल्प

### निर्यात संवर्द्धन सेवायें

### वितरण एवं विपणन एम.एस.एम.ई. उत्पाद

राजस्व और व्यय विभागीय लेखों से परिचालन कार्य कलापों पर आधारित हैं। राजस्व एवं व्यय समस्त व्यवसाय से संबंधित हैं एवं उचित विभागीय आधार नहीं होने के कारण इन्हें अदृश्य व्यय के मद में सम्मिलित किया गया है। परिसम्पद एवं दायित्व। पूरे व्यवसाय से संबंधित हैं और विभागीय विभाजन आधार नहीं होने से अदृश्य परिसम्पद / दायित्व के अन्तर्गत लिया गया है।

राशि लाखों में

| विवरण                      | हस्तशिल्प |         | ईआईएस   |         | एमएसएमई उत्पाद का वितरण और विपणन |         | अन्य    |         | योग      |          |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
|                            | 2019-20   | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20                          | 2020-21 | 2019-20 | 2020-21 | 2019-20  | 2020-21  |
| वर्ष                       |           |         |         |         |                                  |         |         |         |          |          |
| बिक्री एवं सेवा            | 340.33    | 88.48   | 1316.45 | 2226.34 | 394.27                           | 579.29  |         |         | 2051.05  | 2894.11  |
| कुल राजस्व                 | 341.76    | 90      | 1321.87 | 2243.62 | 400.38                           | 621.33  | 293.02  | 263.97  | 2357.03  | 3218.92  |
| खण्ड परिणाम                | 76.81     | -80.79  | 52.49   | 126.02  | -4.53                            | 30.95   | 0       | 0       | 124.77   | 76.18    |
| प्राप्त व्याज              | 0.83      | 0.65    | 0.1     | 0.14    | 4.54                             | 4.81    | 93.38   | 69.46   | 98.85    | 75.06    |
| शुद्ध अविनिधानीय           |           |         |         |         |                                  |         | -73.84  | -63.87  | -89.21   | -63.88   |
| आय / व्यय                  |           |         |         |         |                                  |         |         |         |          |          |
| शुद्ध हानि / लाभ           |           |         |         |         |                                  |         |         |         | 35.56    | 12.30    |
| वर्तमान कर के लिए प्रावधान |           |         |         |         |                                  |         |         |         | 0        | 0        |
| कर पश्चात लाभ / हानि       |           |         |         |         |                                  |         |         |         | 35.56    | 12.30    |
| अविनिधानीय संपत्ति         | 578.46    | 562.96  | 713.83  | 741.23  | 210.85                           | 293.86  | 2295.57 | 2398.46 | 3798.71  | 3996.51  |
| अविनिधानीय दायित्व         | 337.20    | 356.90  | 1232.13 | 1412.56 | 1100.15                          | 1138.51 | 2243.6  | 2214.8  | 4913.08  | 5122.77  |
| नियोजित पूंजी              | 241.26    | 206.06  | -518.30 | -671.33 | -889.30                          | -844.65 | 51.97   | 183.66  | -1114.37 | -1126.26 |
| पूँजीगत व्यय               | 0.49      | 0       | 58.97   | 1.05    | 0                                | 0       | 0.51    | 1.06    | 59.97    | 2.11     |
| ह्रास                      | 12.31     | 10.44   | 17.7    | 17.54   | 0                                | 0       | 22.65   | 23.44   | 52.66    | 51.42    |

नोट-कोई अन्तर खण्ड बिक्री एवं राजस्व नहीं है।

# दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. जयपुर

परिशिष्ट “ए”

## सहायता अनुदान पर प्रभारित व्यय का विवरण

| विवरण                                | 31 मार्च 2021 तक<br>के आंकड़े<br>(रु.) | 31 मार्च 2020 तक<br>के आंकड़े<br>(रु.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| व्यय                                 |                                        |                                        |
| प्रदर्शनी आयोजन व्यय (आईआईटीएफ-2019) | —                                      | 6,925,959                              |
| अध्यक्ष व्यय                         |                                        | 0                                      |
| <b>योग</b>                           | <b>—</b>                               | <b>6,925,959</b>                       |

डॉ. आकाश आल्हा  
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन  
कम्पनी सचिव

डॉ. राजेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक  
डीआईएन 07685462

अर्चना सिंह  
निदेशक  
डीआईएन 06785834

अंकेक्षण रिपोर्ट  
हमारे इसी दिनांक के  
प्रतिवेदन के क्रम में  
वास्ते गुप्ता राजीव एण्ड एसोसिएट्स  
(एफआरएन : 0004915सी)  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स  
कुलदीप सैनी  
भागीदार  
एम.नं. 441824  
यूडीआईएन : 21441824एएएएकेजी9191

स्थान : जयपुर  
दिनांक : 24.11.2021

# दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

इकाई-विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट “बी”

एमएसएमई की सूची जिन्हें 31.3.2021 तक 45 दिनों की अवधि के बाद भुगतान किया गया

| क्र. सं. | आपूर्तिकर्ता का नाम                                | पैन नं.             | देय राशि          | देय राशि की दिनांक | दिवसों की संख्या |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1.       | मैसर्स ए.के. एंटरप्राइजेज, जयपुर                   | एएचएचएए7933आर       | 6033740           | 30.11.17           | 1764             |
| 2.       | मैसर्स एशियन सेल्स                                 | एडीआरपीके5560बी     | 6278003           | 30.8.2018          | 1491             |
| 3.       | मैसर्स गरिमा स्टील                                 | एसीयूपीवॉय3318आई    | 3066715           | 31.12.17           | 1733             |
| 4.       | मैसर्स खण्डेलवाल एंटरप्राइजेज, जयपुर               | एडीजेडपीके9697एफ    | 2525415           | 31.12.17           | 1733             |
| 5.       | मैसर्स महादेव एंटरप्राइजेज, जयपुर                  | एटीजेडपीवी3487सी    | 3255987           | 31.12.17           | 1733             |
| 6.       | मैसर्स मोहन ऑयरन वर्क्स , अलवर                     | एएबीएफएम8957बी      | 4497249           | 31.12.17           | 1733             |
| 7.       | मैसर्स एस.आर.के. सोलनगिरी फर्नीचर कं.              | एएआईपीएम7265आर      | 2159472           | 31.12.17           | 1733             |
| 8.       | मैसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज, जयपुर                  | एबीएक्सापीएस4083के  | 2486389           | 31.12.17           | 1733             |
| 9.       | मैसर्स कर्नावट टरपो जयपुर                          | एएफसीपीके6032पी     | 144091            | 31.03.20           |                  |
| 10.      | मैसर्स एवन प्लास्टिक                               | लागू नहीं           | 146395            | पूर्व का           |                  |
| 11.      | मैसर्स दयाल फाउण्डरी एण्ड प्लास्टिक वर्क्स, उदयपुर | एबीक्यूदपीके9141बी  | 169565            | पूर्व का           |                  |
| 12.      | मैसर्स मेहता प्लास्ट कॉरपोरेशन                     | एएसीएचएम3508डी      | 295922            | पूर्व का           |                  |
| 13.      | मैसर्स पद्मावती पॉलीमर्स, उदयपुर                   | एएजीएफपी5925पी      | 127649            | पूर्व का           |                  |
| 14.      | मैसर्स रवि इंटरनेशनल, जयपुर                        | एसीबीपीके5569पी     | 951558            | पूर्व का           |                  |
| 15.      | मैसर्स एस आर के मॉड्यूलर फर्नीचर्स कं. जयपुर       | एएआईपीएम7265आर      | 370999            | पूर्व का           |                  |
| 16.      | मैसर्स वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जोधपुर                | एडीबीपीएस0070क्यू   | 117340            | पूर्व का           |                  |
| 17.      | मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज, जोधपुर                  | एडीआरपीके5557एल     | 165202            | पूर्व का           |                  |
| 18.      | मैसर्स गोविन्द एंटरप्राइजेज                        | एसीएनपीक्यूज53332एल | 52,764            | पूर्व का           |                  |
| 19.      | मैसर्स हिन्द सेफ कम्पनी जयपुर                      | एजीजेडपीके4482डी    | 4,274             | पूर्व का           |                  |
| 20.      | मैसर्स केसी एण्ड कम्पनी जोधपुर                     | एडीएसपीएस9565एम     | 6,773             | पूर्व का           |                  |
| 21.      | मैसर्स केसी एण्ड सन्स जोधपुर                       | बीएलईपीएस2097डी     | 81,826            | पूर्व का           |                  |
| 22.      | मैसर्स नावल्टी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी जयपुर          | एएडीएफएन6373एन      | 9,782             | पूर्व का           |                  |
| 23.      | मैसर्स श्रीनाथ इण्डस्ट्रीज, जयपुर                  | एएएमएचए0953एल       | 73,945            | पूर्व का           |                  |
|          | <b>कुल राशि</b>                                    |                     | <b>33,021,055</b> |                    |                  |

नोट : 1. क्र.सं. 1 से 8 की उपरोक्त इकाईयों (8 एमएसएमई इकाईयां) को जारी भुगतान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान सरकार में अवमानक माल की आपूर्ति हेतु अन्वेषणाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं आरएसआईसी के निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार भुगतान रोक दिया गया।

2. क्र.सं. 9 से 23 तक पूर्व के एवं विवाद से संबंधित

## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

इकाई-विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट “सी”

एमएसएमई की सूची जिनका कम्पनी में 30 दिन से अधिक समय तक  
देय 1.00 लाख का भुगतान लम्बित रहा  
विवरण 31.03.2021 तक

| क्र. सं. | आपूर्तिकर्ता का नाम                              | पैन नं.            | राशि            | देय राशि की दिनांक निर्दिष्ट करें |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1.       | मैसर्स ए.के. एंटरप्राइजेज, जयपुर                 | एएचएफए7933आर       | 6033740         | 30.11.17                          |
| 2.       | मैसर्स एशियन सेल्स                               | एडीआरपीके5560बी    | 6278003         | 30.8.2018                         |
| 3.       | मैसर्स गरिमा स्टीसल                              | एससीयूपीवॉय3318आई  | 3066715         | 31.12.17                          |
| 4.       | मैसर्स खण्डेलवाल एंटरप्राइजेज जयपुर              | एडीजेडपीके9697एफ   | 2525415         | 31.12.17                          |
| 5.       | मैसर्स महादेव एंटरप्राइजेज जयपुर                 | एटीजेडपीवी3487सी   | 3255987         | 31.12.17                          |
| 6.       | मैसर्स मोहन ऑयरन वर्क्स अलवर                     | एएबीएफएम8957बी     | 4497249         | 31.12.17                          |
| 7.       | मैसर्स एसआरके सोलनगिरी फर्नीचर्स कं.             | एएआईपीएम7265आर     | 2159472         | 31.12.17                          |
| 8.       | मैसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज जयपुर                 | एबीएक्सएपीएस4083के | 2486389         | 31.12.17                          |
| 9.       | मैसर्स कर्नावट टरपो जयपुर                        | एएफसीपीके6032पी    | 144,091         | 31.3.2020                         |
| 10.      | मैसर्स ऐवन प्लास्टिक                             | लागू नहीं          | 144,091         | पूर्व के                          |
| 11.      | मैसर्स दयाल फाउंडरी एण्ड प्लास्टिक वर्क्स उदयपुर | एबीक्यूदपीके9141बी | 169565          | पूर्व के                          |
| 12.      | मैसर्स मेहता प्लास्ट कॉरपोरेशन                   | एएससीएचएम3508डी    | 295922          | पूर्व के                          |
| 13.      | मैसर्स पद्मावती पोलीमर्स उदयपुर                  | एएजीएफपी5925पी     | 127649          | पूर्व के                          |
| 14.      | मैसर्स रवि इंटरनेशनल जयपुर                       | एससीबीपीके5569पी   | 951558          | पूर्व के                          |
| 15.      | मैसर्स एस आर के मॉड्यूलर फर्नीचर कम्पनी जयपुर    | एएआईपीएम7265आर     | 390999          | पूर्व के                          |
| 16.      | मैसर्स वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज जोधपुर               | एडीबीपीएस0070क्यू  | 117285          | पूर्व के                          |
| 17.      | मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज जोधपुर                 | एडीआरपीके5557एल    | 165202          | पूर्व के                          |
|          | <b>योग</b>                                       |                    | <b>32809332</b> |                                   |

नोट :- क्र.सं. 1 से 8 की उपरोक्त इकाईयों (8 एमएसएमई इकाईयां) को जारी भुगतान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान सरकार में अवमानक माल की आपूर्ति के संदर्भ में अन्वेषणाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार भुगतान रोक दिया गया।

क्र. सं. 9 से 17 पुराने विवादों से संबंधित है।



# दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का व्यापार लाभ व हानि

का इकाईवार तुलनात्मक विवरण

(आंकड़े लाखों में)

|     | इकाई का नाम                                   | कारोबार                         |                    |                 |                                 |                    |                | लाभ एवं हानि के बाद विनियोग |                |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|     |                                               | 2019-20                         |                    |                 | 2020-21                         |                    |                | 2019-20                     | 2020-21        |
|     |                                               | निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस | कन्साइनमेंट बिक्री | कुल             | निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस | कन्साइनमेंट बिक्री | कुल            |                             |                |
|     | <b>ए. हस्त शिल्प</b>                          |                                 |                    |                 |                                 |                    |                |                             |                |
| 1.  | राजस्थली नई दिल्ली                            | 140.04                          | 275.97             | 416.01          | 44.91                           | 127.58             | 172.49         | 69.75                       | 3.76           |
| 2.  | राजस्थली कोलकाता                              | 60.49                           | 79.35              | 139.84          | 19.26                           | 24.49              | 43.75          | 6.11                        | (21.64)        |
| 3.  | राजस्थली जयपुर                                | 133.25                          | 101.17             | 234.42          | 23.83                           | 12.57              | 36.40          | (2.00)                      | (60.31)        |
| 4.  | राजस्थली उदयपुर                               | 6.53                            | 6.02               | 12.55           | 0                               | 0                  | —              | 2.96                        | (2.39)         |
| 5.  | डी.डी.आर.सी. जयपुर                            |                                 |                    | —               | 0.48                            |                    | 0.48           | (0.02)                      | (0.21)         |
|     | <b>योग (ए)</b>                                | <b>340.31</b>                   | <b>462.51</b>      | <b>802.82</b>   | <b>88.48</b>                    | <b>164.64</b>      | <b>253.12</b>  | <b>76.80</b>                | <b>(80.79)</b> |
|     | <b>बी. ई.आई.एस.</b>                           |                                 |                    |                 |                                 |                    | —              |                             |                |
| 6.  | एयर कार्गो, सांगानेर                          | 184.63                          | 0                  | 184.63          | 354.84                          | 0                  | 354.84         | 93.11                       | 126.64         |
| 7.  | आई.सी.डी. सांगानेर                            | 202.61                          | 0                  | 202.61          | 165.56                          | 0                  | 165.56         | (7.71)                      | 8.02           |
| 8.  | आई.सी.डी. जोधपुर                              | 929.22                          | 0                  | 929.22          | 1705.94                         | 0                  | 1705.94        | (2.72)                      | (3.84)         |
| 9.  | आई.सी.डी. भिवाडी                              | 0                               | 0                  | —               | 0                               | 0                  | —              | (22.88)                     | —              |
| 10. | आई.सी.डी. भीलवाडा                             | 0                               | 0                  | —               | 0                               | 0                  | —              | (7.30)                      | (4.80)         |
|     |                                               | —                               | —                  | —               | —                               | —                  | —              | —                           | —              |
|     | <b>योग (बी)</b>                               | <b>1316.46</b>                  | <b>0</b>           | <b>1,316.46</b> | <b>2226.34</b>                  | <b>0</b>           | <b>2226.34</b> | <b>52.50</b>                | <b>126.02</b>  |
|     | <b>सी. वितरण/विपणन</b>                        |                                 |                    |                 |                                 |                    | —              | —                           | —              |
| 11. | कच्चा माल<br>पूर्व अवधि की आय                 | 12.03                           | 0                  | 12.03           | 0                               | 0                  | —              | (9.75)                      | (13.43)        |
| 12. | विपणन शाखा                                    | 382.25                          |                    | 382.25          | 579.29                          |                    | 579.29         | 5.22                        | 7.89           |
|     | <b>योग (सी)</b>                               | <b>394.28</b>                   | <b>0</b>           | <b>394.28</b>   | <b>579.29</b>                   | <b>0</b>           | <b>579.29</b>  | <b>-4.53</b>                | <b>30.95</b>   |
| 13. | डी. मुख्यालय (व्यय-किराये की एवं ब्याज की आय) |                                 |                    |                 |                                 |                    | —              | (89.21)                     | (63.88)        |
|     | <b>योग (डी)</b>                               |                                 |                    |                 |                                 |                    | —              |                             |                |
|     | <b>कुल योग (ए+ बी+ सी+ डी)</b>                | <b>2051.05</b>                  | <b>462.51</b>      | <b>2,513.56</b> | <b>2894.11</b>                  | <b>164.64</b>      | <b>3058.75</b> | <b>35.56</b>                | <b>12.30</b>   |



संख्या / No. सी.ए.डब्ल्यू.-1 / वा.ले. / आरएसआईसी / 2020-21 / के-72 / 9-104

**भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग**

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान

जनपथ, जयपुर-302 005

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN

JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक / Date : 23-12-2021

प्रबन्ध निदेशक,  
दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर-302005

विषय : दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा धारा 143 (6) के अन्तर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा धारा 143(6)(बी) के अधीन समीक्षा न करने का प्रमाण-पत्र (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह./—

उपमहालेखाकार

(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह-I)

### 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) में प्रावधित अंकेक्षण मानकों के अनुसार किये गये स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय प्रपत्रों पर अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत राय प्रकट करना है। यह उनके द्वारा 24 नवंबर 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की ओर से, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत पूरक लेखा परीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
के लिए और उनकी ओर से

ह/—

अपूर्वा सिन्हा

महालेखाकार (लेखा परीक्षा- I।)

राजस्थाकन, जयपुर

स्थान : जयपुर

**फार्म सं. एमजीटी-11****प्रतिपूर्ति फार्म****(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)**

सीआईएन : यू 91110 आर जे 1961एसजीसी 001118  
 कम्पनी का नाम : दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड  
 पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

|                                        |   |  |
|----------------------------------------|---|--|
| सदस्य का नाम                           | : |  |
| पंजीकृत पता                            | : |  |
| ई-मेल आईडी                             | : |  |
| फोल्यो सं./ग्राहक आईडी<br>एवं डीपीआईडी | : |  |

मैं/हम उपरोक्त कम्पनी के सदस्य है तथा ..... अंशधारित करते हैं, एतद् नियुक्त करते हैं:-

1. ....का.....ई-मेल  
आईडी..... या इनकी अनुपस्थिति पर

2. ....का.....ई-मेल  
आईडी..... या इनकी अनुपस्थिति पर

मेरे/हमारे प्रतिपूर्ति के रूप में, कम्पनी की 60 वीं वार्षिक साधारण सभा.....2021  
को..... बजे ..... पर आयोजित में तथा उसके किसी स्थगन पर,  
मेरे/हमारे स्थान पर उपस्थित होने एवं मेरे/हमारे स्थान पर मत देने (मतदान की अवस्था में) के लिए, नीचे दर्शाये  
प्रस्तावों के संबंध में :

## प्रस्ताव संख्या

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, गौर करना एवं अंगीकार करना।
2. वर्ष 2021-22 के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।
3. श्री शक्ति सिंह राठौड (डी.आई.एन.06591056) की निदेशक के रूप में नियमित नियुक्ति
4. श्री बाल मुकन्द असावा (डी.आई.एन.08450734) की निदेशक के रूप में नियमित नियुक्ति

इसे ..... का दिनांक.....2021 को हस्ताक्षर किये।

रेवेन्यू स्टाम्प  
लगाएं

अंशधारक के हस्ताक्षरक

प्रतिपूर्तिधारक के हस्ताक्षर

नोट :

1. इस प्रतिपूर्ति फार्म को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना चाहिए।
2. संकल्प, व्याख्यात्मक कथन, वक्तव्य और टिप्पणियों के लिए, कृपया 60वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।



## दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

वेब साईट : <http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico>, ई-मेल : [rajsico@rajasthan.gov.in](mailto:rajsico@rajasthan.gov.in)

CIN : U91110RJ961SGC001118

### उपस्थिति पंजिका

कृपया उपस्थिति पंजिका को भरें तथा सभाकक्ष के प्रवेश द्वार पर दें।

|              |  |                       |  |
|--------------|--|-----------------------|--|
| डीपीआईडी*    |  | फोल्यो सं.            |  |
| ग्राहक आईडी* |  | धारित अंशों की संख्या |  |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कम्पनी का सदस्य का सदस्य/प्रॉक्सी हूँ। मैं एतद्वारा आर.एस.आई.सी लिमिटेड की 60वीं वार्षिक साधारण सभा.....2021 को बजे .....  
..... जयपुर..... पर आयोजित में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

**सदस्यों/प्रॉक्सी का नाम बड़े अक्षरों में**

**सदस्य/प्रतिपूर्ति के हस्ताक्षर**

रेवेन्यू स्टाम्प  
लगाएं

\*इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए लागू।